सत्यमेव जयते

भारत सरकार
जल संसाधन मंत्रालय

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF WATER RESOURCES

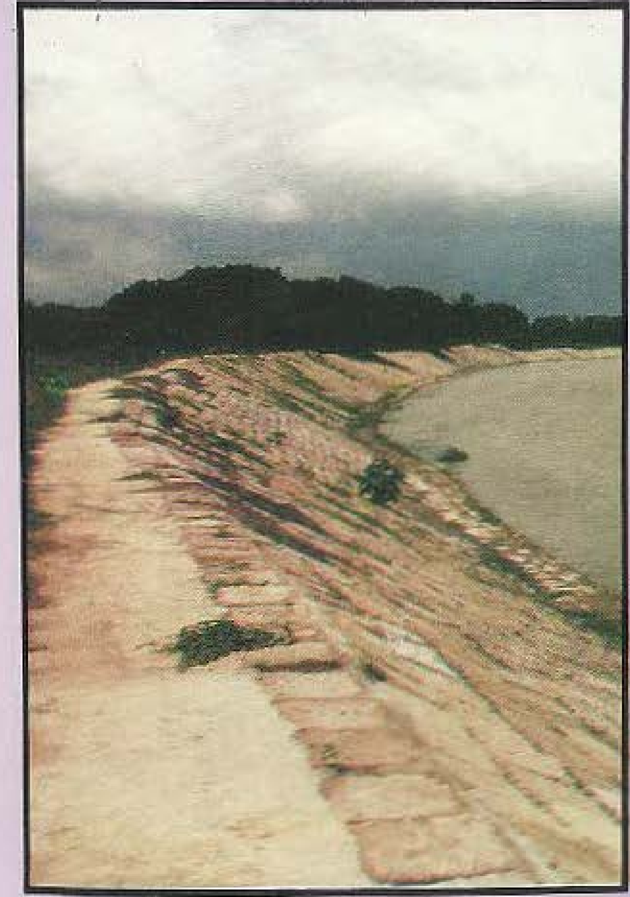

वार्षिक प्रतिवेदन
2009–10

ANNUAL REPORT
2009-10

गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग
पटना

GANGA FLOOD CONTROL COMMISSION
PATNA

सत्यमेव जयते

भारत सरकार
जल संसाधन मंत्रालय

गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग

वार्षिक प्रतिवेदन
2009–2010

पटना

3528 WR/10—1A

विषय–सूची

अध्याय	शीर्षक	पृष्ठ संख्या
	अध्यक्ष के कलम से	*i*
	वर्ष 2009–10 की विषेषताएं	*ii*
1	प्रस्तावना	1
2	बाढ़–प्रबंधन की बृहत् योजनाएं	13
3	सड़क एवं रेल पुलों के नीचे जलमार्गों की पर्याप्तता का आंकलन	15
4	बाढ़–प्रबंधन कार्यक्रम (राज्य सेक्टर)	16
5	बाढ़–प्रबंधन योजनाओं का मूल्यांकन	18
6	**राज्यवार** चल रही बाढ़–प्रबंधन योजनाओं की मॉनिटरिंग	28
7	नदी प्रबंधन क्रिया–कलाप तथा सीमा क्षेत्रों से संबंधित कार्य	32
8	पड़ोसी राज्यों से सहायोग	37
9	हिंदी के प्रयोग की प्रगति	43
10	प्रशिक्षणों, कार्यषालाओं एवं सेमीनार में भागीदारी	45
11	विभिन्न समितियों में गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग का प्रतिनिधित्व	46

अध्यक्ष के कलम से

गंगा बेसिन के एक क्षेत्र या अनेक क्षेत्रों में विभिन्न तीव्रता की बाढ़ का आना एक वार्षिक विशेषता है जिसके कारण मानव जीवन एवं सम्पत्ति की व्यापक क्षति होती है । जैसा कि गंगा एक अन्तर्राज्जीय नदी है । अतः यह आवश्यक था कि बेसिन के बाढ़ से संबंधित समस्याओं के निदान के लिए एक समेकित योजना बनायी जाए तथा इनका कार्यान्वयन एक सुनिश्चित तरीके से की जाए । गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग का सृजन जल संसाधन मंत्रालय के एक अधीनस्थ कार्यालय के रूप में वर्ष 1972 में की गई । आरंभ से ही गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग गंगा बेसिन के सभी 23 नदी पद्धतियों की बृहत् योजनाएं तैयार करने एवं तत्पश्चात् उनका अद्यतीकरण करने में अद्वितीय भूमिका अदा की है । इन योजनाओं में दिए गए सुझावों पर आवश्यक अनुवर्ती कारवाई हेतु राज्य सरकारों को भेजी गयी । यह बृहत् योजनाएं बाढ़–प्रबंधन योजनाओं के निर्माण में गंगा बेसिन राज्यों को आवश्यक सूचनाएं प्रदान करती है ।

गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग को अपने मूल कार्यों के अलावा अनेक अतिरिक्त कार्य सौंपे गए हैं । गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग ने चालू वर्ष में सौंपे गए कार्यों को प्रभावशाली ढंग से निष्पादित किया है जिनका विस्तृत विवरण इस रिपोर्ट में दिया गया है । खासतौर पर 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत सरकार द्वारा आरंभ की गई राष्ट्रीय महत्व की बाढ़–प्रबंधन कार्यक्रम के क्षेत्र में गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग की काफी सकिय भूमिका रही है । वर्ष 2009–10 के दौरान इन योजनाओं पर अच्छी प्रगति हुई । लालबकेया, बागमती, कमला एवं खांडो जैसा अन्तर्राष्ट्रीय नदियों पर के तटबंधों का विस्तार की योजनाएं तथा इच्छामती नदी की साझी सीमा में जल निकास अवरोध को दूर करने में संतोषजनक प्रगति हुई है । वर्ष 2009–10 के दौरान गंगा बेसिन राज्यों को 652 करोड़ रू. की राशि वित्तीय सहायता के रूप में दी गई ।

गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग के अधिकारियों ने बाढ़–प्रबंधन से संबंधित विषयों में नेपाल एवं बंगला देश की सरकारों के साथ अन्तर्राष्ट्रीय मामलों, जिसमें बाढ़ एवं जल निकास प्रबंधन से संबंधित विषय शामिल हैं, के समाधान में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है।

गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग की वर्ष 2009–10 की वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए मुझे आपार हर्ष हो रहा है तथा मुझे विश्वास है कि यह रिपोर्ट बाढ़–प्रबंधन एवं गंगा बेसिन में अन्य संबंधित कार्यों के क्षेत्र में गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग की भूमिका एवं इनके योगदान की एक बृहत् छवि प्रस्तुत करेगी ।

अशोक कुमार गंजू

(अशोक कुमार गंजू)
अध्यक्ष
गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग

वर्ष 2009–10 की विशेषताएं

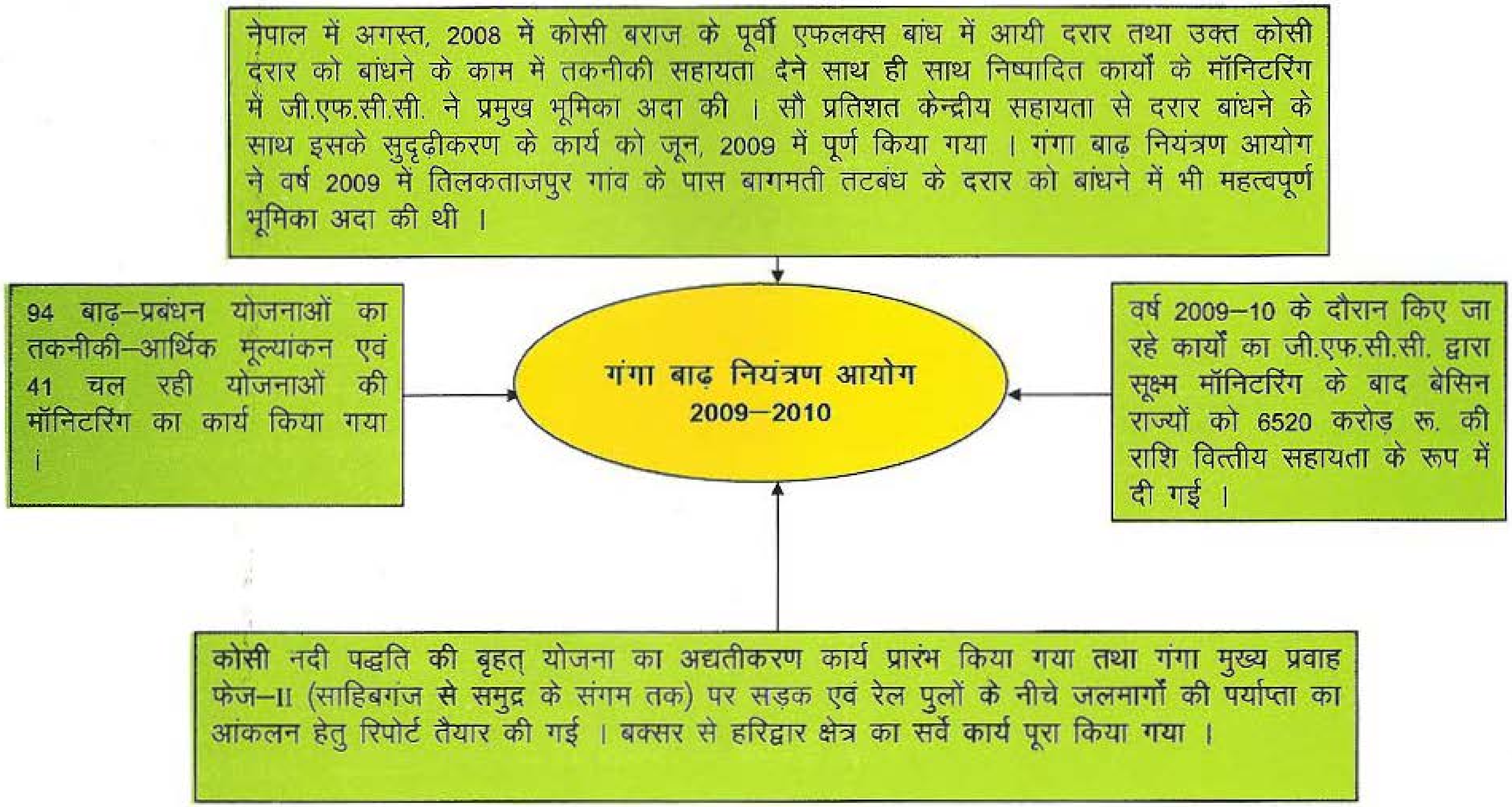

नेपाल में अगस्त, 2008 में कोसी बराज के पूर्वी एफलक्स बांध में आयी दरार तथा उक्त कोसी दरार को बांधने के काम में तकनीकी सहायता देने साथ ही साथ निष्पादित कार्यों के मॉनिटरिंग में जी.एफ.सी.सी. ने प्रमुख भूमिका अदा की । सौ प्रतिशत केन्द्रीय सहायता से दरार बांधने के साथ इसके सुदृढ़ीकरण के कार्य को जून, 2009 में पूर्ण किया गया । गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग ने वर्ष 2009 में तिलकताजपुर गांव के पास बागमती तटबंध के दरार को बांधने में भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी ।

94 बाढ़–प्रबंधन योजनाओं का तकनीकी–आर्थिक मूल्यांकन एवं 41 चल रही योजनाओं की मॉनिटरिंग का कार्य किया गया ।

गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग
2009–2010

वर्ष 2009–10 के दौरान किए जा रहे कार्यों का जी.एफ.सी.सी. द्वारा सूक्ष्म मॉनिटरिंग के बाद बेसिन राज्यों को 6520 करोड़ रु. की राशि वित्तीय सहायता के रूप में दी गई ।

कोसी नदी पद्धति की बृहत् योजना का अद्यतीकरण कार्य प्रारंभ किया गया तथा गंगा मुख्य प्रवाह फेज–II (साहिबगंज से समुद्र के संगम तक) पर सड़क एवं रेल पुलों के नीचे जलमार्गों की पर्याप्ता का आंकलन हेतु रिपोर्ट तैयार की गई । बक्सर से हरिद्वार क्षेत्र का सर्वे कार्य पूरा किया गया ।

अध्याय–1

प्रस्तावना

1.1 गंगा बेसिन में बाढ़ की समस्याएं

अलकनन्दा एवं भागीरथी दो पवित्र नदियां हिमालय की लगभग 7000 मी. की ऊंचाई पर स्थित 'हिम चोटियों से निकली है और देवप्रयाग के निकट एक हो गयी हैं । यह एकीकृत नदी गंगा नदी के नाम से जानी जाती है और अपने रास्ते बहती हुई बंगाल की खाड़ी के संगम तक 2525 कि.मी. दूरी तय करती है (जिसमें उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखंड मे 1450 कि.मी. , उत्तर प्रदेश एवं बिहार की सीमा से सट कर 110 कि.मी., बिहार एवं झारखंड में 445 कि.मी. तथा पश्चिम बंगाल में 520 कि.मी. दूरी में बहती है)। गंगा नदी की महत्वपूर्ण सहायक नदियां रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी, कमला, बागमती एवं महानन्दा इसके बांयी ओर से मिलती है, जबकि इसके दाहिने ओर से यमुना, टोन्स, सोन, किऊल, अजय, दामोदर, पुनपुन एवं रूपनारायण नदियां मिलती है। गंगा नदी गंगा बेसिन राज्यों की एक प्रमुख जल निकास व्यवस्था निर्गम है। यह गंगा बेसिन के कुल आवाह क्षेत्र जोकि 10.68 लाख वर्ग कि.मी. है को सिंचित करती है जिसमें से 8.61 लाख वर्ग कि.मी. भारत में पड़ता है। इस प्रकार यह भारत के 26 प्रतिशत क्षेत्र को सिंचित करती है। गंगा के मैदानी भाग की मिट्टी सामान्यतः जलोढ़ है। बाएं किनारे की सभी प्रमुख नदियां जो गंगा में मिलती है उनका उद्गम स्थल हिमालय पर्वत है । दूसरी ओर, यमुना को छोड़कर जिसका उद्गम स्थल भी हिमालय है, शेष सभी विंध्य पर्वत श्रृंखला या फिर गंगा और विंध्य पर्वत श्रृंखला के मध्य स्थित पठार से निकली हैं । विभिन्न गंगा बेसिन राज्यों में से बिहार राज्य का उत्तरी भाग, उत्तर प्रदेश का पूर्वी भाग एवं पश्चिम बंगाल बाढ़ से अत्यधिक प्रभावित राज्य हैं। बाढ़ की समस्या अन्य गंगा बेसिन राज्यों में है लेकिन वहां की समस्या इतनी गंभीर नहीं है ।

गंगा बेसिन में बाढ़ की समस्याओं को संक्षिप्त रूप में इस प्रकार दिये गये हैं:–

1. आवाह क्षेत्र में लम्बी अवधि तक भारी वर्षा का होना ।
2. वर्षा ऋतु में गंगा नदी द्वारा सहायक नदियां का जल निकास अवरूद्ध करना ।
3. वर्षा ऋतु के दौरान नदी द्वारा तट का कटाव ।
4. नदी के विसर्पी होने के कारण भूमि, सम्पत्ति एवं जीवन की क्षति
5. तटबंध का अपर्याप्त क्षमता ।
6. कियान्वित बाढ़ नियंत्रण के उपायों के खराब अनुरक्षण के फलस्वरूप वर्षा ऋतु के दौरान क्षतिग्रस्त होना ।

7. नदियों के बाढ़ क्षेत्र के अधीन अवस्थित गांवों का जलमग्न होना ।

गंगा नदी एवं इसकी सहायक नदियों का तल ढलान ऊपरी क्षेत्र में काफी स्तंभित (steep) है, जो कि आगे मध्य क्षेत्र या निचले क्षेत्र में समतल या बराबर तल का हो जाता है । ऊपरी मार्ग मे गंगा नदी अत्यधिक कटाव तथा तल क्षरण के लिए प्रबल मानी गयी है यानि बहुत खराब अवनति । प्रवाह द्वारा कटाव पदार्थ नीचे आ जाते हैं तथा मध्य मार्ग कटाव एवं अधिवृद्धि दोनों ही के साक्षी हैं । निचला क्षेत्र जहां का तल ढलान सममतल है तथा वेग कम है, ऐसे में संचयन प्रकिया अर्थात् नदी तल का अवसादन एवं अभिवृद्धि प्रबल होती है । गंगा नदी की विशर्पी अवस्था के कारण कटाव एवं अवसादन की घटना एक साथ होती है।

गंगा बेसिन 11 राज्यों यथा– उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड एवं पश्चिम बंगाल राज्यों में फैला है । गंगा बेसिन को 23 नदी पद्धतियों में विभाजित किया गया है । बेसिन के नदी पद्धति इस प्रकार हैं :–

1. गोमती
2. अधवारा समूह
3. घाघरा
4. महानन्दा
5. कमला बलान
6. बूढ़ी गंडक
7. बागमती
8. पुनपुन
9. कोसी
10. गंडक
11. अजय
12. किऊल हरोहर
13. दामोदर
14. मयूराक्षी
15. यमुना
16. रामगंगा
17. टोन्स
18. बदुआ–चन्दन
19. रूपनारायण–हल्दी–रसूलपुर
20. जलंगी
21. सोन
22. टाइडल नदियां

23. मुख्य गंगा

इनमें से अधिकांश नदियां अन्तर्राज्जीय है तथापि कुछ एक ही राज्यीय हैं । इन राज्यों का बाढ़ से प्रभावित कुल क्षेत्र 20.40 मिलियन हे. है (देश में कुल बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का लगभग 50 प्रतिशत) तथा जिसमे हर साल बार–बार बाढ के कारण जान–माल की भारी क्षति होती है।

गंगा बेसिन में बाढ़ प्रभावित क्षेत्र की राज्यवार ब्योरा नीचे दिए गए हैं :–

बाढ़ प्रभावित क्षेत्र (लाख हे. में)

क्र. सं.	राज्य	राष्ट्रीय बाढ़ आयोग द्वारा किया गया आंकलन	10वीं योजना हेतु डब्लू. जी. को राज्यों द्वारा की गई रिपोर्ट
1.	हिमाचल प्रदेश	2.30	4.76
2.	हरियाणा	23.50	23.5
3.	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	0.50	0.7
4.	उत्तर प्रदेश (उत्तराखंड सहित)	73.36	73.40
5.	राजस्थान	32.60	32.6
6.	मध्य प्रदेश (छत्तीसगढ़ सहित)	2.60	3.37
7.	बिहार (झारखंड सहित)	42.60	68.8
8.	पश्चिम बंगाल	26.50	37.66
	कुल	**203.96**	**244.79**

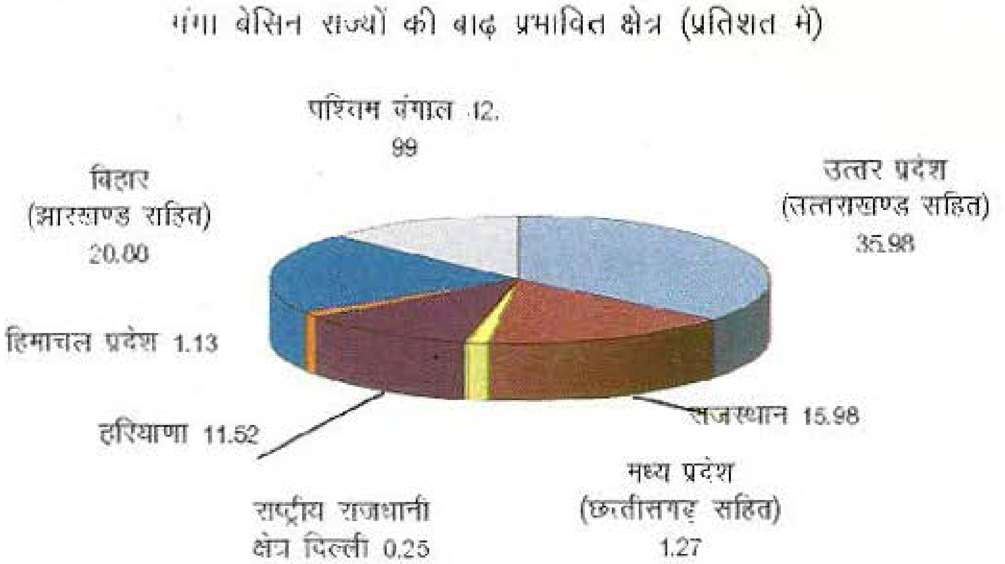

1.2 गंगा बाढ़ नियंत्रण परिषद्

गंगा बेसिन की गंभीर एवं चिरकालिक बाढ़ समस्याओं का प्रभावी ढंग से सामना करने तथा उससे होने वाली समेकित क्षति को कम करने के उद्धेश्य से बाढ़–प्रबंधन, कटाव नियंत्रण इत्यादि कार्य करने के लिए एक समेकित योजना बनाने तथा त्वरित जल निकास सुविधा प्रदान करने तथा इसका एक बृहत् एवं समन्वित रूप में कार्यान्वयन की आवश्यकता महसूस की गई । इन उद्धेश्यों की प्राप्ति के लिए भारत सरकार, जल संसाधन मंत्रालय के संकल्प सं. एफ.सी. –47(2)/72 दिनांक 18.4.1972 द्वारा गंगा बाढ़ नियंत्रण परिषद् (जी.एफ.सी.बी.) का गठन किया गया था । जिसके अध्यक्ष माननीय केन्द्रीय मंत्री, जल संसाधन हैं ।

कार्य :

- विभिन्न योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए विस्तृत नीतियां तैयार करना एवं उसके कार्यान्वयन की प्राथमिकता का निर्धारण करना ।
- गंगा बेसिन में बाढ़ नियंत्रण की बृहत् योजना तैयार करने के संबंध में गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग को आवश्यक दिशा–निर्देश जारी करना" तथा तद्नुसार बनाए गए योजनाओं का अनुमोदन करना ।

1.3 गंगा बाढ़ नियंत्रण परिषद् का गठन

जल संसाधन मंत्रालय के संकल्प संख्या–22/3/99–पू.न./2586 दिनांक 28.6.2001 द्वारा अधिसूचित गंगा बाढ़ नियंत्रण परिषद् का गठन नीचे दिया गया है :–

1. केन्द्रीय जल संसाधन मंत्री – अध्यक्ष
2. केन्द्रीय जल संसाधन राज्य मंत्री – सदस्य (केन्द्रीय जल संसाधन मंत्री की अनुपस्थिति में अध्यक्ष)
3. केन्द्रीय वित्त मंत्री या उनके प्रतिनिधि – सदस्य
4. केन्द्रीय रेल मंत्री या उनके प्रतिनिधि – सदस्य
5. केन्द्रीय सड़क परिवहन एवं राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्री या उनके प्रतिनिधि – सदस्य
6. केन्द्रीय कृषि मंत्री या उनके प्रतिनिधि – सदस्य
7. मुख्य मंत्री, बिहार या उनके प्रतिनिधि – सदस्य
8. मुख्य मंत्री, प0 बंगाल या उनके प्रतिनिधि – सदस्य
9. मुख्य मंत्री, उत्तर प्रदेश या उनके प्रतिनिधि – सदस्य
10. मुख्य मंत्री, हरियाणा या उनके प्रतिनिधि – सदस्य
11. मुख्य मंत्री, राजस्थान या उनके प्रतिनिधि – सदस्य
12. मुख्य मंत्री, मध्य प्रदेश या उनके प्रतिनिधि – सदस्य
13. मुख्य मंत्री, हिमाचल प्रदेश या उनके प्रतिनिधि – सदस्य
14. मुख्य मंत्री, झारखण्ड या उनके प्रतिनिधि – सदस्य
15. मुख्य मंत्री, उत्तराखंड या उनके प्रतिनिधि – सदस्य
16. मुख्य मंत्री, छत्तीसगढ़ या उनके प्रतिनिधि – सदस्य
17. सदस्य, योजना आयोग – सदस्य
18. मुख्य मंत्री, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली या उनके प्रतिनिधि – सदस्य
19. अध्यक्ष, गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग – सदस्य–सचिव

गंगा बाढ़ नियंत्रण परिषद् की अबतक 14 बैठकें आयोजित हुई हैं। परिषद् की 14वीं बैठक जून, 2000 में नई दिल्ली में आयोजित हुई थी।

1.4 गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग

गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग, जल संसाधन मंत्रालय का एक अधीनस्थ कार्यालय है । इसका मुख्यालय पटना में है । इसकी स्थापना 1972 में भारत सरकार के संकल्प संख्या–एफ.सी.सी. 47(3)172 दिनांक 18कृ4.1972 द्वारा गंगा बेसिन राज्यों में बाढ़ की समस्या के निदान एवं उसके प्रबंधन हेतु तथा गंगा बाढ़ नियंत्रण परिषद् के सचिवालय एवं कार्यपालक स्कंध के रूप में की गई थी ।
गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग (जी.एफ.सी.सी.) का गठन नीचे दिया गया है :–

1. अध्यक्ष, गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग – अध्यक्ष

पूर्ण कालिक सदस्य

2. सदस्य(योजना), गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग – सदस्य
3. सदस्य(समन्वय), गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग – सदस्य

आयोग के अंशकालिक सदस्य

4. मुख्य अभियंता, बाढ़ नियंत्रण प्रभारी जल संसाधन विभाग, बिहार सरकार – सदस्य
5. मुख्य अभियंता, बाढ़ नियंत्रण प्रभारी जल संसाधन विभाग, झारखण्ड सरकार – सदस्य
6. मुख्य अभियंता, बाढ़ नियंत्रण प्रभारी सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार – सदस्य
7. मुख्य अभियंता, बाढ़ नियंत्रण प्रभारी सिंचाई विभाग, उत्तराखंड सरकार – सदस्य
8. मुख्य अभियंता, बाढ़ नियंत्रण प्रभारी सिंचाई एवं जलमार्ग विभाग, पश्चिम बंगाल सरकार – सदस्य
9. अभियंता प्रमुख, जल संसाधन विभाग मध्य प्रदेश सरकार – सदस्य
10. अभियंता प्रमुख, जल संसाधन विभाग छत्तीसगढ़ सरकार – सदस्य
11. सदस्य(नदी प्रबंधन), केन्द्रीय जल आयोग भारत सरकार, नई दिल्ली – सदस्य
12. निदेशक, केन्द्रीय जल एवं शक्ति अनुसंधान केन्द्र, भारत सरकार, पूणे – सदस्य
13. मुख्य अभियंता(लोअर गंगा बेसिन), – सदस्य

केन्द्रीय जल आयोग, भारत सरकार, पटना

14. मुख्य अभियंता(योजना) सड़क स्कंध, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार – सदस्य

15. निदेशक(सिविल अभियंत्रण स्कंध), रेलवे बोर्ड, भारत सरकार – सदस्य

आयोग के स्थायी आमंत्रित सदस्य

1. मुख्य अभियंता, बाढ़ नियंत्रण प्रभारी, हरियाणा सरकार
2. मुख्य अभियंता, बाढ़ नियंत्रण प्रभारी, हिमाचल प्रदेश सरकार
3. मुख्य अभियंता, बाढ़ नियंत्रण प्रभारी, राजस्थान सरकार
4. मुख्य अभियंता, बाढ़ नियंत्रण प्रभारी, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
5. निदेशक(बी.एण्ड.एस.), आर.डी.एस.ओ., रेल मंत्रालय, लखनऊ

1.5 गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग के कार्य

आयोग को निम्न कार्य सौंपे गए हैं :–

(क) गंगा बेसिन में बाढ़ नियंत्रण की बृहत् योजना तैयार करना ।

(ख) संबंधित राज्यों द्वारा बेसिनवार योजनाओं में शामिल कार्यों के कार्यान्वयन का चरणबद्ध एवं समन्वित रूपरेखा प्रस्तुत करना ।

(ग) कार्यों एवं उनके नियमित अनुरक्षण का उचित मानक सुनिश्चित करना ।

वर्त्तमान में जी.एफ.सी.सी. का विस्तृत कार्य इस प्रकार हैं :–

- गंगा बेसिन में बाढ़--प्रबंधन की बृहत् योजना तैयार करना । गंगा बाढ़ नियंत्रण परिषद् द्वारा दिए गए निर्देश के अनुसार राज्य सरकारों के द्वारा इस काम के लिए क्षेत्र अन्वेषण एवं आंकड़ा संकलन का कार्य किया जाता है ।
- बेसिनवार योजनाओं में सम्मिलित कार्यों के कार्यान्वयन का चरणबद्ध एवं समन्वित कार्यक्रम तैयार करना।
- उचित मानकों के अनुसार कार्यों का कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए गुणवत्ता नियंत्रण, सामग्री विनिर्देश एवं उनका अनुरक्षण के संबंध में दिशा–निर्देश के पालन हेतु संबंधित राज्यों को सलाह देना।
- परिषद् के विचारार्थ जब कभी आवश्यकता हो तो कार्यों एवं निधि आवंटन की अनुशंसा से संबंधित वार्षिक कार्यक्रम तैयार करना ।

- सड़क एवं रेल पुलों के नीचे विद्यमान जल निकास मार्गों का आंकलन एवं जल निस्सरण के अवरोध को यथोचित सीमा तक कम करने के लिए अतिरिक्त जल मार्गों का निर्धारण करना ।
- महत्वपूर्ण बाढ़ नियंत्रण योजनाएं विशेषकर वह जो केन्द्रीय सहायता प्राप्त कर रही हैं या केन्द्रीय सेक्टर में कियान्वित हो रही हैं, उनका मॉनिटरिंग करना ।
- ताजेवाला से ओखला बराज तक के क्षेत्र में यमुना नदी पर हरियाणा, उत्तर प्रदेश एवं दिल्ली राज्यों की योजनाओं को छोड़कर गंगा बेसिन की सभी बड़ी एवं मध्यम बाढ़ नियंत्रण, जल निकास, जल जमाव रोधी और कटाव—रोधी योजनाओं की जांच ।
- बेसिन राज्यों द्वारा समुचित उपयोग के लिए वैज्ञानिक संगठनों के साथ मिलकर किए गए विशेष अध्ययनों या अन्वेशणों से प्राप्त निष्कर्षों का प्रलेखन एवं प्रसार करना ।
- सभी अन्तर्राज्जीय बाढ़ नियंत्रण योजनाओं सहित राज्यों द्वारा निष्पादित किए गए प्रमुख बाढ़ नियंत्रण उपयों की कार्यकारिता मूंल्याकन करना ।
- बाढ़—प्रबंधन विषय से संबंधित भारत सरकार एवं गंगा बेसिन राज्यों द्वारा गठित विभिन्न राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय समितियों में भाग लेना।

गंगा बेसिन में बाढ़—प्रबंधन की बृहत् मास्टर योजनाएं तैयार करने तथा उनका समय—समय पर अद्यतन करने के काम के साथ गंगा बेसिन में बाढ़—प्रबंधन योजनाओं की तकनीकी एवं आर्थिक मूल्यांकन का कार्य भी जी.एफ.सी.सी. करता है। नेपाल के साथ बाढ़—प्रबंधन से संबंधित अनेक किया—कलापों में समन्वय का काम भी दिया गया है ।

गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग की अबतक कुल 42 बैठकें आयोजित हो चुकी हैं । जी.एफ.सी.सी. की 42वीं बैठक भोपाल(मध्य प्रदेश) में 15 जुलाई, 2010 को आयोजित हुई थी । इन बैठकों में गंगा बेसिन से संबंधित विभिन्न विषयों जैसे – राष्ट्रीय बाढ़ आयोग की अनुशंसाओं के कार्यान्वयन में हुई प्रगति, फ्लड प्लेन जोनिंग/फ्ल्ड रिस्क मैपों को तैयार करना, सब बेसिनवार बृहत योजनाओं का कार्यान्वयन, फ्लड प्रबंधन योजनाओं की मॉनिटरिंग एवं मूल्यांकन, फ्ल्ड प्लेन क्षेत्र के चित्र के लिए रिमोट सेन्सिंग तकनीक/उपग्रह चित्रण का उपयोग, बाढ़ प्रबंधन योजनाओं के निर्माण एवं निष्पादन से पहले मॉडल अध्ययन की आवश्यकता के आंकलन काम किया जाना, बाढ़—प्रबंधन योजनाओं का वार्षिक सूची पत्र तैयार करना आदि पर विचार—विमर्श किया गया तथा विभिन्न गंगा बेसिन राज्यों/संबंधित केन्द्रीय संगठनों द्वारा इस पर अनुगामी कार्रवाई करने का निर्णय लिया गया ।

गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग
संगठन चार्ट

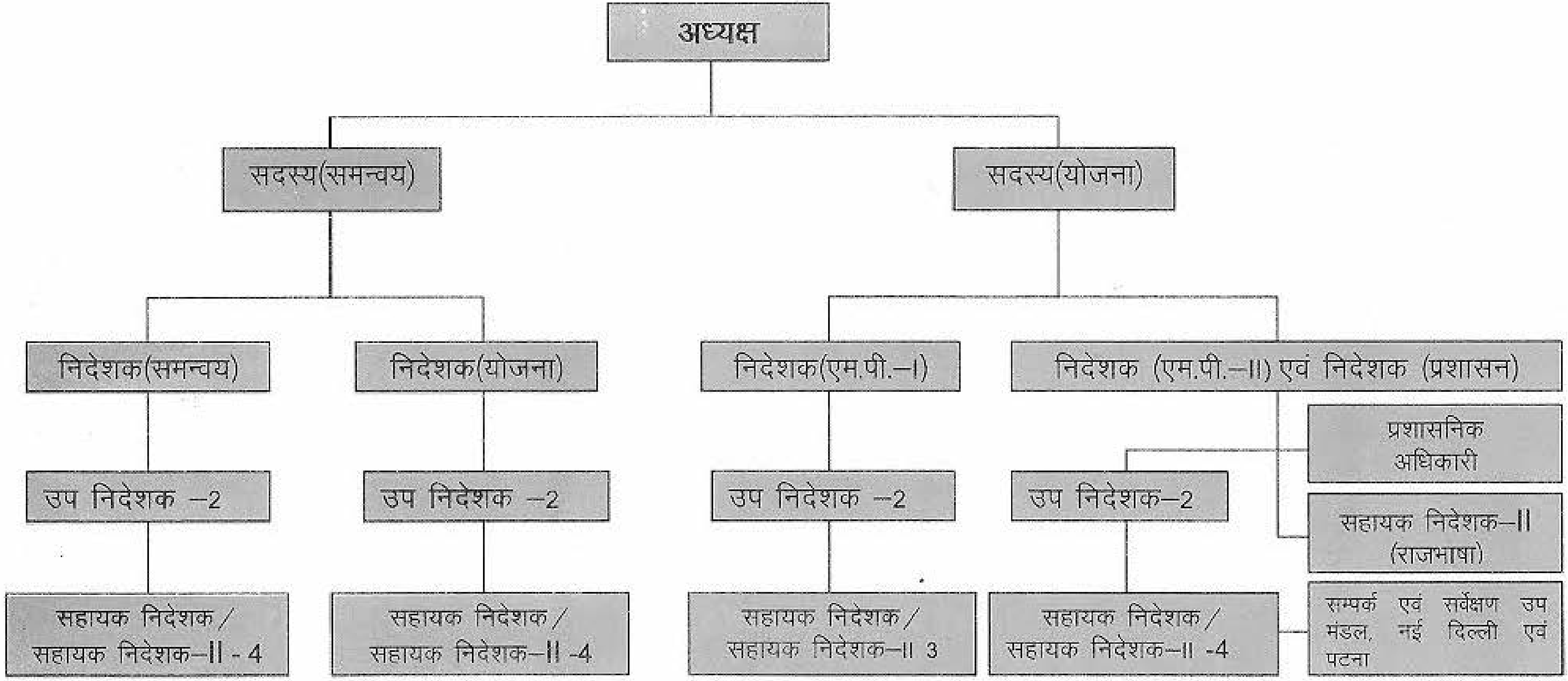
अध्यक्ष
सदस्य(समन्वय)
सदस्य(योजना)
निदेशक(समन्वय)
निदेशक(योजना)
निदेशक(एम.पी.–I)
निदेशक (एम.पी.–II) एवं निदेशक (प्रशासन)
प्रशासनिक अधिकारी
सहायक निदेशक–II (राजभाषा)
उप निदेशक –2
उप निदेशक –2
उप निदेशक –2
उप निदेशक–2
सहायक निदेशक / सहायक निदेशक–II - 4
सहायक निदेशक / सहायक निदेशक–II -4
सहायक निदेशक / सहायक निदेशक–II 3
सहायक निदेशक / सहायक निदेशक–II -4
सम्पर्क एवं सर्वेक्षण उप मंडल, नई दिल्ली एवं पटना

1.7 गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग में अधिकारियों/कर्मचारियों की संख्या

गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग में 31.3.2010 को कुल 101 स्वीकृत पदों के स्थान पर 74 अधिकारी/कर्मचारी कार्यरत हैं । स्वीकृत एवं भरे गए पदों का ब्योरा नीचे दिए गए हैं:–

क.सं.	समूह	स्वीकृत	रिक्त	कुल भरे गए पद
1.	क(राजपत्रित)	23	07	16
2.	ख (राजपत्रित)	13	03	10
3.	ख (अराजपत्रित)	02	–	02
4.	ग	47	14	33
5.	घ	16	03	13
कुल		101	27	74

इसके अतिरिक्त 19 कार्यभारित कर्मचारीगण जिनमें 03 चालक, 04 कार्य सहायक एवं 12 खलासी भी गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग के विभिन्न किया–कलापों के सम्पादन हेतु कार्यरत हैं ।

'क' समूह के सभी पद एवं 'ख' समूह के सहायक निदेशक ग्रेड–2 के पद केन्द्रीय जल अभियंत्रण सेवा के क्रमशः 'क' एवं 'ख' में सम्मिलित हैं।

1.8 सतर्कता एवं अनुशासनिक मामले

वर्ष 2009–10 के दौरान किसी अधिकारी और अन्य किसी कर्मचारी से संबंधित कोई सतर्कता या अनुशासनिक मामला इस आयोग में लंबित नहीं था ।

1.9 संसद प्रश्नों एवं अति महत्वपूर्ण व्यक्तियों द्वारा पूछे गए प्रश्नों के उत्तर

1.9.1 वर्ष के दौरान 44 संसद प्रश्नों का उत्तर हेतु सामग्री तैयार की गई तथा मंत्रालय को भेजा गया ।

1.9.2 वर्ष के दौरान 14 अति महत्वपूर्ण व्यक्तियों के प्रश्नों से संबंधित उत्तर देने हेतु सामग्री तैयार किया गया तथा जल संसाधन मंत्रालय को भेजा गया ।

1.10 सूचना के अधिकार नियम–2005 का कार्यान्वयन

गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में दर्शाए गए निर्देशों को लागू किया गया है । आयोग ने सूचना के अधिकार के खंड 4(1) (ख) के अधीन का मैनुअल को समेकित एवं प्रकाशन किया गया तथा उसे बेबसाईट http://gfcc.bih.nic.in. पर प्रदर्शित किया गया है । यह मैनुअल अधिनियम के अधीन की सभी आवश्यक सूचनाएं प्रदान करती हैं।

गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग में प्रार्थीयों द्वारा किए गए अनुरोध एवं अधिनियम में दिए गए निर्धारित समय–सीमा के अन्दर प्रार्थी को सूचना प्रेषित करने के काम को देखने के लिए एक अपीलीय प्राधिकारी, एक लोक सूचना अधिकारी एवं पांच सहायक लोक सूचना अधिकारी को भी पदनामित किया गया है । 31.3.2010 तक के पदाधिकारियों के नाम इस प्रकार हैं :–

सदस्य(योजना)	श्री एम.यू.गनी	अपीलीय प्राधिकारी
निदेशक(एम.पी.–II)	श्री संजय कुमार गंगवार	केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी
सहायक निदेशक– II (एम.पी.–II)	श्री ए.के.सिन्हा	सहायक लोक सूचना अधिकारी
सहायक निदेशक– II (एम.पी.–I)	श्री हर्षवर्द्धन	सहायक लोक सूचना अधिकारी
सहायक निदेशक (योजना)	श्री राजेन्द्र प्रसाद	सहायक लोक सूचना अधिकारी
सहायक निदेशक– II (समन्वय)	श्री के.के.राय	सहायक लोक सूचना अधिकारी
सहायक निदेशक– II (प्रशासन)	श्री बिपिन कुमार सिन्हा	सहायक लोक सूचना अधिकारी

वर्ष 2009–10 के दौरान जल संसाधन मंत्रालय के माध्यम से जी.एफ.सी.सी. को पच्चीस प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए थे जिसका उत्तर तत्परता से सीधे प्रार्थी को दिया गया ।

1.11 वित्तीय पहलू

वर्ष 2009–10 के दौरान गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग द्वारा 471.43 लाख रूपये की राशि व्यय की गई । वर्ष 2009–10 के दौरान उप शीर्षवार अंतिम प्राक्कलन एवं वास्तविक व्यय को दर्शाता विवरण नीचे दिया गया है :–

(राशि लाख रू. में)

क.सं.	लेखा शीर्ष	अंतिम प्राक्कलन 2009–2010	वास्तविक व्यय 2009–2010
1.	वेतन	373.73	368.50
2.	चिकित्सा	2.00	1.75
3.	यात्रा व्यय (घरेलु)	20.60	20.47
4.	यात्रा व्यय (विदेश)	3.70	2.17
5.	कार्यालय व्यय	6.00	5.81
6.	लघु कार्य	45.60	44.58
7.	मशीनरी एवं उपस्कर	35.70	28.08
8.	समयोपरि भत्ता	0.10	0.073
कुल		**487.43**	**471.43**

अध्याय–2

बाढ़ प्रबंधन की बृहत् योजनाएं

2.1 बाढ़ प्रबंधन के लिए बृहत् योजना तैयार करना

गंगा बेसिन क्षेत्र में ग्यारह राज्य शामिल हैं, उन राज्यों के कुछ या अन्य भागों में बाढ़ का आना एक वार्षिक विशेषता रही है । अबतक किए गए अपर्याप्त सुरक्षा कार्यो के कारण बाढ़ से प्रायः व्यापक क्षति होती है । अतः इस बेसिन में बाढ़, कटाव एवं जल निकास समस्याओं का सामना करने के लिए एक समेकित योजना तैयार करना तथा इसके समन्वित रूप से कियान्वित करने की आवश्यकता महसूस की गई। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए सम्पूर्ण गंगा बेसिन के लिए बाढ़–प्रबंधन की बृहत् योजनाएं तैयार करने के लिए गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग का गठन किया गया । समस्त गंगा बेसिन को 23 नदी पद्धतियों में विभाजित किया गया है तथा वर्ष 1975 से 1990 के बीच इन सभी नदी पद्धतियों की बाढ़–प्रबंधन की बृहत् योजनाएं तैयार कर ली गयी है। इन बृहत् योजनाओं को संबंधित राज्य सरकारों को भेजी गई जिससे कि वे प्राथमिकता के आधार पर कार्यान्वयन हेतु विशेष योजनाएं तैयार कर सके ।

2.2 बाढ़–प्रबंधन की बृहत् योजनाओं को अद्यतन करना :

गंगा बेसिन में नदयिों की गतिविधियों में हो रहे लगातार परिवर्तनों एवं अन्य कारणों से सभी नदी पद्धतियों की बाढ़–प्रबंधन की बृहत् योजनाओं को अद्यतन करने की आवश्यकता महसूस की गई । यह कार्य वर्ष 1986 में आरंभ किया गया तथा मार्च, 2010 तक गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग ने 22 नदी पद्धतियों की बृहत् योजनाओं को अद्यतन किया है । अद्यतन किए गए बृहत् योजनाओं को भी संबंधित राज्य सरकारों को आगे की अनुवर्ती कार्रवयाई हेतु परिचालित किया गया ।

वर्ष 2009–10 के दौरान कोसी नदी पद्धति की बृहत् योजनाओं को अद्यतन करने का काम शुरू किया गया है ।

2.3 बाढ़ का मॉनिटरिंग और बाढ़ रिपोर्ट तैयार करना :

वर्ष 2009 में गंगा बेसिन राज्यों में बाढ़ की स्थिति का मॉनिटरिंग किया गया तथा 18 साप्ताहिक रिपोर्ट जल संसाधन मंत्रालय को भेजे गए ।

उत्तर प्रदेश एवं बिहार के कुछ भागों को छोड़कर वर्ष 2009 में गंगा बेसिन राज्यों में बाढ़ की स्थिति नियंत्रण में थी । वर्ष 2009 के मानसून के दौरान अक्तूबर, 2009 में उत्तर प्रदेश में घाघरा नदी में भयंकर बाढ़ की स्थिति देखी गई । इसके कारण बाराबंकी एवं फैजाबाद जिला गंभीर रूप से प्रभावित हुआ था । घाघरा नदी के एल्जिन ब्रीज के पास 107.48 मी. के मौजूदा उच्च बाढ़ स्तर के स्थान पर 107.56 मी. तथा अयोध्या में अपने 93.84 मी. के उच्च बाढ़ स्तर स्थान पर 94.01 मी. का नया रिकार्ड बनाया । वर्ष 2009 के बाढ़ के दौरान उत्तर प्रदेश में फसलों, मकानों एवं सार्वजनिक सम्पत्तियों की कुल क्षति 110.101 करोड़ रूपये थी । कुल 1.835 मिलियन जनसंख्या प्रभावित हुई, 0.461 मि. हे. क्षेत्र में फसल प्रभावित हुआ तथा मकान, पशुधन और मानव जीवन की क्षति कमशः 2893.101 और 254 थी ।

वर्ष 2009 के बाढ़ के दौरान बिहार में 24.059 करोड़ रूपये राशि की क्षति हुई । सुपौल और मुजफ्फरपुर जिला में कमशः कोसी एवं बागमती नदी में गंभीर बाढ़ की स्थिति देखी गई । बिहार की अन्य नदियों में बाढ़ की स्थिति कमोवेश सामान्य रही ।

अन्य गंगा बेसिन राज्यों में कोई महत्वपूर्ण बाढ़ नुकसान की सूचना राज्यों से प्राप्त नहीं हुआ ।

यद्यपि वर्ष 2009 का मानसून प्रारंभ होने से पहले 25 मई, 2009 को गंभीर आईला तुफान से पश्चिम बंगाल में उत्तर एवं दक्षिण 24 परगना क्षेत्रों में क्षति हुई । तुफान से प्रभावित क्षेत्र में पड़ने वाले पूरब एवं पश्चिम मिदनापुर, हुबली, हावड़ा, जलपाईगुड़ी और कूच–बिहार जिला में भी विभिन्न स्तर की क्षति हुई ।

अध्याय–3

सड़क एवं रेल पुलों के नीचे जलमार्गों की पर्याप्तता का आंकलन

3.1 गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग का एक और महत्वपूर्ण कार्य सड़क एवं रेल पुलों के नीचे विद्यमान जलमार्गों की पर्याप्तता पर रिपोर्ट तैयार करना है । सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा मौजूदा रेल एवं सड़क पुलों के नीचे जलमार्गों की पर्याप्तता या अन्य कारणों की जांच के लिए अक्सर गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग को आमंत्रित किया जाता है । इसका उद्धेश्य जल निकास मार्गों में जल जमाव को एक सीमा तक कम करने के लिए अपेक्षित अतिरिक्त जल मार्गों का निर्धारण करना है । मुख्य गंगा प्रवाह के कुछ स्ट्रेचेज को छोड़कर यह क्रिया–कलाप अस्सी के दशक की आधी अवधि के दौरान ही पूर्ण लिए गए ।

इन रिपोर्टों को भी गंगा बेसिन राज्यों तथा केन्द्रीय एवं राज्य सरकारों से संबंधित विभागों को अनुगामी कार्रवाई हेतु परिचालित किया गया है ।

वर्ष 2009–10 के दौरान बक्सर से हरिद्वार तक मुख्य गंगा प्रवाह पर सड़क एवं रेल पुलों के नीचे जलमार्गों की पर्याप्तता का सर्वे कार्य पूरा किया गया। साहेबगंज से बंगाल की खाड़ी के मुहाने तक मुख्य गंगा प्रवाह का प्रारूप रिपोर्ट की तैयारी अंतिम चरण में है ।

अध्याय–4

बाढ़ प्रबंधन कार्यक्रम

वर्ष 2004 में बिहार, असम एवं पश्चिम बंगाल में आयी अप्रत्याशित बाढ़ के कारण और इन राज्यों में बृहत् पैमाने पर हुई क्षति के परिणामस्वरूप माननीय प्रधानमंत्री के निर्देश पर भारत सरकार ने बाढ़ समस्या की गंभीरता एवं मौजूदा उत्पन्न गंभीर संकट को ध्यान में रखते हुए अगस्त, 2004 में अध्यक्ष, केन्द्रीय जल आयोग की अध्यक्षता में बाढ़ प्रबंधन/कटाव नियंत्रण के लिए एक टॉस्क फोर्स का गठन किया गया तथा इस टॉस्क फोर्स को असम एवं पड़ोसी राज्यों यथा– बिहार, पश्चिम बंगाल एवं पूर्वी उत्तर प्रदेश में आने वाली चिरकालिक बाढ़ की समस्या का जांच--पड़ताल करना था । इस टॉस्क फोर्स ने इन राज्यों में बाढ़ से संबंधित बहुत सारे विषयों पर विचार–विमर्श किया है और स्थल पर स्थिति से निपटने हेतु अनेक सुझाव दिया । समिति ने अपनी रिपोर्ट में इन राज्यों में बाढ़ और कटाव से नियंत्रण के लिए अनेक उपायों का सुझाव दिए हैं । जल संसाधन मंत्रालय को टॉस्क फोर्स की रिपोर्ट दिसम्बर, 2004 में दिया गया ।

टॉस्क फोर्स एवं ऐसी ही समितियों की अनुशंसाओं को ध्यान में रखते हुए, 11वीं योजना अवधि के दौरान योजना के कार्यान्वयन हेतु राज्य सेक्टर के अधीन 8000 करोड़ रू. की योजना की एक रूपरेखा तैयार की गयी है, जिसका शीर्षक "फल्ड् मैनेजमेंट प्रोग्राम" है । इस योजना में बाढ़–प्रबंधन, तट कटाव रोधी, समुद्र तट कटावरोधी, जल निकास विकास एवं फल्ड् प्रूफिंग शामिल हैं । इन प्रत्येक योजनाओं की वित्तीय अनुमोदन सचिव(व्यय), वित्त मंत्रालय, भारत सरकार की अध्यक्षता में गठित एक अधिकार प्राप्त समिति द्वारा किया जाता है और यह अनुमोदन संकटपूर्ण एवं आपात स्थिति एवं वार्षिक बजट में उपलब्ध धन/ योजना लागत तथा संबंधित राज्य सरकार द्वारा राज्यांश एवं केन्द्रीय अंश/हिस्सा पर विचार के बाद किया जाता है । इस समिति में जल संसाधन मंत्रालय, योजना आयोग, पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय (DONER), पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के प्रतिनिधिगण हैं ।

योजना आयोग द्वारा दिए गए दिशा–निर्देश के अनुसार इस कार्य के लिए विस्तृत योजनाएं कार्यान्वयन करने वाले राज्यों द्वारा तैयार की जातीं है तथा तकनीकी–आर्थिक मूल्यांकन हेतु संबंधित मूल्यांकन एजेन्सी को दी जाती है ।
राज्य सरकारों को निधि निम्न पद्धति के आधार पर केन्द्रीय सहायता प्रदान किए जाते हैं :—

1. विशेष दर्जा प्राप्त राज्यों के लिए 90 प्रतिशत केन्द्रीय अंश, 10 प्रतिशत राज्य अंश (विशेष दर्जा प्राप्त राज्यों में पूर्वोत्तर राज्य, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर एवं उत्तराखण्ड राज्य शामिल हैं)
2. गैर विशेष दर्जा प्राप्त राज्यों के लिए– 75 प्रतिशत केन्द्रीय अंश,

3. क्षतिग्रसत कार्यों के जीर्णोद्धार के लिए 90 प्रतिशत तक केन्द्रीय सहायता के रूप में दिए जा सकते हैं ।

वित्तीय एवं भौतिक प्रबंधन, गुणवत्ता नियंत्रण, कार्यों का समय पर पूर्ण होने आदि की जिम्मेदारी राज्य सरकार/कार्यान्वयन एजेन्सी की है ।

"फ्लड् मैनेजमेंट कार्यक्रम" योजना की मॉनिटरिंग अपने-अपने क्षेत्राधिकार क्षेत्र में केन्द्रीय जल आयोग, गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग एवं ब्रह्मपुत्र बोर्ड द्वारा किया जाना है । अंतरिक्ष विभाग/एन.आर.एस.ए. रिमोट सेन्सिंग तकनीक के माध्यम से कार्यों की भौतिक प्रगति की मॉनिटरिंग में भी सहयोगी हैं ।

कार्य पूर्ण होने के बाद उनका कार्यकारिता मूल्यांकन अध्ययन का काम जैसा विषय हो उस अनुसार केन्द्रीय जल आयोग, जी.एफ.सी.सी., ब्रह्मपुत्र बोर्ड के परामर्श से किसी स्वतंत्र एजेन्सी द्वारा कराया जाता है ।

निष्पादन हेतु ली गई राज्यवार योजनाएं एवं उनकी स्थिति

11वीं योजना के दौरान (राज्यवार) शुरू की गई बाढ़ प्रबंधन कार्यक्रम की योजना एवं उनकी प्रगति का ब्योरा नीचे दी गई है :-

क. सं.	राज्य का नाम	निष्पादन हेतु शुरू की गई योजनाओं की संख्या	2008-09 तक पूर्ण योजनाओं की संख्या	2009-10 के दौरान पूर्ण योजनाओं की संख्या	31.3.2010 को चल रही योजनाओं की संख्या
1.	बिहार	34	02	20	12
2.	झारखण्ड	01	–	–	01
3.	पश्चिम बंगाल	10	–	01	09
4.	उत्तर प्रदेश	12	–	03	09
5.	उत्तराखण्ड	04	–	–	04
6.	हिमाचल प्रदेश	01	–	–	01
	कुल	**62**	**02**	**24**	**36**

अध्याय–5

बाढ़ प्रबंधन योजनाओं का मूल्यांकन

5.1 गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग में गंगा बेसिन राज्यों से प्राप्त बाढ़–प्रबंधन योजनाओं की तकनीकी–आर्थिक मूल्यांकन का काम एक अनवरत किया–कलाप है । 7.5 करोड़ रू. और 15 करोड़ रू. के बीच की अनुमानित लागत की योजनाओं का तकनीकी–आर्थिक व्यवहार्यता की जांच गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग द्वारा किया जाता है और अगर यह स्वीकार्य योग्य होती है तो इसे जी.एफ.सी.सी. द्वारा द्वारा स्वीकृत किया जाता है तथा इसे निवेश स्वीकृति हेतु योजना आयोग को अनुशंसित किया जाता है । 7.5 करोड़ रू. से कम लागत की योजनाएं राज्य स्तर पर ही राज्य बाढ़ नियंत्रण परिषद् द्वारा स्वीकृति दी जाती है । 15 करोड़ रू. से ऊपर की लागत की योजनाएं अगर स्वीकार्य योग्य पाया जाता है तो इसे जी.एफ.सी.सी. द्वारा उसके तकनीकी–आर्थिक मूल्यांकन करने के बाद स्वीकृति हेतु जल संसाधन मंत्रालय की सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण एवं बहुद्देश्शीय प्रोजेक्ट की सलाहकार समिति को भेजता है ।

सामान्यतः 7.5 करोड़ रू. से कम लागत की योजनाओं की जांच गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग नहीं करता है फिर भी विशेष मामले में जैसे– बंगलादेश की सीमा से लगे साझा नदियों पर पूर्वी सेक्टर में तत्कालिक बाढ़ सुरक्षा कार्य की योजनाएं जल संसाधन मंत्रालय, भारत सरकार ने एक अनुदेश जारी किया था कि जी.एफ.सी.सी. बंगलादेश के साथ की साझा सीमा की नदियों पर की योजनाओं की संवीक्षा करेगी तथा निधि जारी करने हेतु जल संसाधन मंत्रालय को अनुशंसा करेगी । इसके अतिरिक्त गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग में सभी केन्द्र प्रायोजित योजनाओं की तकनीकी–आर्थिक पहलू का परीक्षण किया जता है चाहे परियोजना लागत कितना ही क्यों न हो ।

5.2 2009–10 के दौरान जांच की गई योजनाओं का ब्योरा तथा उनकी स्थिति नीचे दी गई है :–

बिहार

क. सं	योजना का नाम	अनुमानित लागत (लाख रू. में)	स्थिति
1.	झीम एवं जमुरा नदियों (अधवारा समूह) के वाएं किनारे (25.71 कि.मी.) एवं दाहिने किनारे (26.06 कि.मी.) तक सोनवर्षा बाजार से सोनवर्षा गांव तक तटबंध का निर्माण	6452.108	योजना स्वीकृत
2.	अखाराघाट पुल से मीनापुर से विजय छपरा के प्रतिप्रवाह पर बूढ़ी गंडक तटबंध के वाएं किनारे (0 कि.मी. से 18.4 कि.मी. तथा अखाराघाट पुल से समस्तीपुर जिला सीमा (0.00 से 45.5 कि.मी. तक उच्चीकरण एवं सुदृढ़ीकरण	2240.88	योजना स्वीकृत
3.	कमला बलान नदी के वाएं एवं दाहिने किनारे पर 11.42 कि.मी. का विस्तार एवं उसके वांयी ओर के ऊपरी भाग पर 5.00 कि.मी. में ईट सोलिंग रोड का निर्माण तथा दाएं तटबंध के विस्तारित भाग पर दो स्थलों पर सुरक्षा कार्य	5611.54	योजना स्वीकृत
4.	गंगा नदी के वाएं किनारे पर कटावरोधी कार्य (1) गुप्ता लखमिनिया तटबंध के निकट रामदीरी–सिंहमा कटाव स्थल (2) गुप्ता तटबंध के निकट गुप्ता लखमिनिया तटबंध (3) सनाहा गोरगामा तटबंध के निकट (4) गोगरी नारायणपुर तटबंध, नया गांव रिंग बांध और आखा खजरीठा रिंग बांध	2932.0	योजना स्वीकृत
5.	महानन्दा बाढ़ प्रबंधन योजना	14968.0	योजना स्वीकृत
6.	ईट सोलिंग सड़क एवं अन्य सहायक कार्य सहित लोअर नन तटबंधों का उच्चीकरण एवं सुदृढ़ीकरण	2671.0	योजना स्वीकृत
7.	गंगा नदी के किनारे पर तिरहुत तटबंध के 5 से 6 मील के बीच पहाड़पुर–मनोरथ (फेज–2) पर कटावरोधी कार्य	758.0	योजना स्वीकृत
8.	गंगा नदी के वाएं किनारे पर विक्रमशीला सेतु के अनुप्रवाह में मौजूदा इस्माईलपुर से बिन्द टोली में प्रस्तावित स्पर संख्या–8 एवं 9 का निर्माण	849.0	योजना स्वीकृत
9.	दानापुर दियारा में अंतिम छोर से लगे 1500 मीटर की लम्बाई में ग्राम कासिमचक से पानापुर (बिन्द टोली) के निकट गंगा नदी के वाएं किनारे पर कटावरोधी कार्य	817.63	योजना स्वीकृत

10.	बिहार राज्य में महानन्दा नदी के गोविन्दपुर दायां तटबंध के निकट लावा–चौकिया पारापुर के निकट के 20.98 कि.मी. (सी.एच. 688) पर ब्रीच क्लोजर वर्क सहित कटावरोधी कार्य तथा महानन्दा नदी के वाएं तटबंध के ऊपरी सतह पर 0.00 कि.मी. से 2.58 कि.मी. (84.50 सी.एच) तक 0.20 मी. मोटा ब्रिक सोलिंग कार्य, आजमनगर रिंग बांध का उच्चीकरण एवं सुदृढ़ीकरण	1117.42	योजना स्वीकृत
11.	गंडक नदी के दाहिने किनारे पर सेमरा गांव के निकट 4.20 कि.मी. पर मगरपाल चरकी में पाइलौट चैनल, कटावरोधी कार्य के निर्माण के साथ 1.5 कि.मी. से 2.15 कि.मी. के बीच सल्लाहपुर रूंदासपुर चरकी में कटावरोधी कार्य	664.96	योजना स्वीकृत
12.	महावीर घाट से टेरधी घाट(पटना सिटी) तक एवं रामनगर दियारा(बख्तियारपुर, पटना) में गंगा नदी के दाहिने किनारे पर शहर सुरक्षा कार्य	1100.0	योजना स्वीकृत
13.	गंगा नदी के वाएं किनारे पर मथुरापुर–आमी ग्राम के निकट गंगा नदी के वाएं किनारे पर कटावरोधी योजना	654.36	योजना स्वीकृत
14.	गंगा नदी के वाएं किनारे पर मनिहारी से रामायणपुर (चकिया पहारपुर) तक गंगा के वाएं किनारे का गैप क्लोजर	813.02	योजना स्वीकृत
15.	चंदन नदी पर के तटबंध का सुदृढ़ीकरण एवं उसका विस्तार कार्य	14768.68	योजना का मूल्यांकन किया गया तथा टीका–टिप्पणी राज्य सरकार को भेजी गई
16.	फरियानी नदी के तटबंध का उच्चीकरण एवं सुदृढ़ीकरण एवं विस्तार	2100	वही
17.	गंडक नदी के वाएं किनारे पर 0.00 कि.मी. से 83.40 कि.मी. के बीच तिरहुत तटबंध पर कोलतार सड़क का निर्माण	9881	वही
18.	हायाघाट काराचीन तटबंध के 0.00 कि.मी. से 75.00 कि.मी. तक का उच्चीकरण एवं सुदृढ़ीकरण	2947.07	वही
19.	सनहा गोरगामा तटबंध के 0.00 कि.मी. से 21.30 कि.मी. एवं 24.10 से 28.50 कि.मी. तक का उच्चीकरण एवं सुदृढ़ीकरण	2806.37	वही
20.	समस्तीपुर शहर में जल जमाव एवं बाढ़ की समस्या का स्थायी निदान	442.8	वही
21.	नागापारा तटबंध के 2.80 कि.मी. से 16.00 कि.मी. तक का उच्चीकरण एवं सुदृढ़ीकरण	1487.53	वही

22.	ब्रांडी नदी के दाहिने तटबंध के सी.एच. 79 से 82 कटावरोधी कार्यों सहित इसके वाएं एवं दाहिने तटबंध का उच्चीकरण एवं सुदृढ़ीकरण	1569.7	वही
23.	कारी कोशी तटबंध के 0.00 सी.एच. से 788 सी.एच. तक का उच्चीकरण एवं सुदृढ़ीकरण तथा ईट सोलिंग कार्य और 58 से 62 सी.एच. के बीच कटावरोधी कार्य	1477.91	वही
24.	पुरानी के.ए.एस. तटबंध का उच्चीकरण, सुदृढ़ीकरण एवं 8 इंच मोटी ईट सोलिंग तथा गंगा नदी के वाएं किनारे पर दूसरी, तीसरी एवं पांचवी रिटायर्ड लाईन पर 8 इंच मोटी ईट सोलिंग का कार्य	773.521	वही
25.	चम्पारण तटबंध के पुरानी तटबंध पर भरवालिया मझारिया बाजार रिंग बांध का निर्माण	1434.78	वही
26.	भोजपुर एवं बक्सर जिलों में गंगा नदी के दाहिने किनारे पर बी.के.जी. तटबंध का उच्चीकरण, सुदृढ़ीकरण एवं विस्तार कार्य	5461.0	वही

झारखण्ड

1.	बुधवारिया से कन्हैयास्थान तक गंगा नदी के दाहिने किनारे पर कटावरोधी कार्य	991.13	योजना स्वीकृत की गई
2.	नारायणपुर में गंगा नदी के दाहिने किनारे पर कटावरोधी कार्य	927.72	योजना स्वीकृत की गई

पश्चिम बंगाल

1.	पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिला में सुन्दरपुर एवं बसंतपुर, काजीपराटो नवग्राम और शहरबहिटो उत्तरासन संगम एवं नदियाँ जिला में सनयालचर पर भागीरथी नदी के दोनों किनारों से लगे तट सुरक्षा कार्य की सुरक्षा	2366.00	योजना स्वीकृत की गई
2.	पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिला में इच्छालीपारा, मोया, गलादरया, पश्चिम बीचपारा (बमनाबाद) एवं नदिया जिला में बसुमारी में गंगा–पद्मा नदी के दाहिने किनारे पर तट सुरक्षा कार्यों की योजना	2813.67	योजना स्वीकृत की गई
3.	कलियाघई–कपालेश्वरी–बघायी ड्रेनेज बेसिन योजना हेतु मास्टर योजना एवं डी.पी.आर.	65038.00	योजना स्वीकृत की गई

4.	भयंकर तुफान 'अईला' से नुकसानग्रस्त उत्तर एवं दक्षिण 24 परगना जिला के सुन्दरवन एवं समीपवर्ती क्षेत्रों में तटबंध का पुनःनिर्माण, पुनः प्रतिरूपण एवं सुधार कार्य	503200.00	योजना स्वीकृत की गई
5.	घाटल एवं इसके समीपवर्ती क्षेत्र के लिए मास्टर प्लान एवं डी.पी.आर.	155000.00	परीक्षणाधीन

उत्तर प्रदेश

1.	बलरामपुर जिला में 30.00 कि.मी. से 82.00 कि.मी. के बीच सुवावन नाला का निर्माण	1358.66	योजना स्वीकृत की गई
2.	जे.पी. नगर/बिजनौर जिला में ग्राम–शेरपुर से थेट तक गंगा नदी के वाएं किनारे पर तटबंध का निर्माण कार्य	2458.00	योजना स्वीकृत की गई
3.	68.200 कि.मी. से 70.200 कि.मी. के बीच कटावरोधी निर्माण कार्य से तुर्तीपार श्रीगनर (टी.एस.) की सुरक्षा हेतु परियोजना प्राक्कलन	1495.00	योजना स्वीकृत की गई
4.	लखीमपुर–खीरी जिला में मटहिया ग्राम के निकट भीरा–पालिया रेलवे लाईन की सुरक्षा के लिए शारदा नदी के दाहिने किनारे पर नदी निर्माण हेतु परियोजना प्राक्कलन	1042.00	योजना स्वीकृत की गई
5.	जिला–रामपुर (उत्तर प्रदेश) में कोसी नदी के वाएं किनारे पर लालपुर–धनौरा बांध का विस्तार, जीर्णोद्धार एवं कटावरोधी कार्यो के लिए परियोजना।	1420.00	योजना स्वीकृत की गई
6.	कुशीनगर जिला में गंडक नदी के दाहिने किनारे पर बाढ़ सुरक्षा कार्यो के लिए परियोजना	4450.20	योजना स्वीकृत की गई
7.	बहराईच, बाराबंकी, गोंडा, बस्ती, फैजाबाद एवं मऊ जिलों में घाघरा नदी के वाएं एवं दाहिने किनारे पर बाढ़ सुरक्षा कार्यों के लिए परियोजना।	11000.00	योजना स्वीकृत की गई
8.	जे.पी. नगर, शाहजहांपुर, मेरठ एवं बुलन्दशहर जिलों में गंगा नदी के वाएं एवं दाहिने किनारे पर बाढ़ सुरक्षा कार्य हेतु योजना ।	3241.72	योजना स्वीकृत की गई
9.	मुजफ्फरनगर, बागपत, गाजियाबाद, गौतमबुद्ध नगर, अलीगढ़ एवं मथुरा जिलों में यमुना नदी के वाएं एवं दाहिने किनारे पर बाढ़ सुरक्षा कार्य हेतु योजना ।	4380.00	स्वीकृत

10.	बागपत एवं गौतमबुद्धनगर जिलों में हिन्डन नदी के वाएं एवं दाहिने किनारे पर बाढ़ सुरक्षा कार्य हेतु योजना ।	1492.10	स्वीकृत
11.	बिजनौर एवं मोरादाबाद जिलों में खो, कोसी एवं रामगंगा नदी के किनारे पर बाढ़ सुरक्षा कार्य हेतु योजना ।	1165.00	स्वीकृत
12.	बलिया जिला में गंगा नदी के वाएं किनारे पर ग्राम समूह नोरदारा, भुसौउला एव बी.एस.टी. बांध की सुरक्षा ।	945.00	स्वीकृत
13.	मेरठ जिला में गंगा नदी के दाहिने किनारे पर भकदुमपुर, बसतौरा एवं किशोरपुर गांवों की सुरक्षा के लिए बाढ़ सुरक्षा कार्यों के लिए योजना	695.54	स्वीकृत
14.	रामपुर जिला में पिलखर नदी के वाएं किनारे पर अशोकपुर, पट्टी और गजरौला गांव की सुरक्षा हेतु वर्त्तमान बांध का जीर्णोद्धार एवं विस्तार ।	309.00	स्वीकृत
15.	बिजनौर (उत्तर प्रदेश) जिला में खो नदी के दाहिने किनारे पर ग्राम टांडा, मुकारपुरी, ज्योतिहिमा, गंगाधरपुर, सिपाही बाला, नवदाकेशो, टांडा बारखेरा एवं उमरपुर खादर की सुरक्षा के लिए बाढ़ सुरक्षा कार्यों के लिए योजना ।	523.84	स्वीकृत
16.	जे.पी. नगर (उत्तर प्रदेश) जिला में गंगा नदी के वाएं किनारे पर पपसारा रिंग बांध एवं हसनपुर बांध–2 के 17.00 कि.मी. पर मौजूदा स्टड से हसनपुर बांध–2 के बीच उसकी सुरक्षा के लिए कटावरोधी कार्यों के निर्माण हेतु बाढ़ सुरक्षा कार्यों के लिए योजना ।	410.57	स्वीकृत
17.	मुजफ्फर नगर (उत्तर प्रदेश) जिला में ग्राम अम्बेदकर मन्दवार, बसेडा, चौतरा तथा यमुना नदी के वाएं किनारे पर बालहेदा मावी, काकोर मामोर एवं सहपत की सुरक्षा हेतु बाढ़ सुरक्षा कार्यों की योजना ।	627.40	स्वीकृत
18.	कांशीराम नगर (उत्तर प्रदेश) जिला में गंगा नदी के दाहिने किनारे पर 0.00 कि.मी. से 15.400 कि.मील. के बीच दतनाला–बरौदा बांध के निर्माण की योजना	1044.00	योजना की जांच की गई एवं टीका–टिप्पणी राज्य सरकार को भेजी गई
19.	श्रावस्ती (उत्तर प्रदेश) जिला में राप्ती नदी के वाएं किनारे पर खजुआ झुंघुनिया–अंधारपूरवा मारजिनल बांध के निर्माण की योजना ।	830.25	योजना की जांच की गई एवं टिप्पणी राज्य सरकार को भेजी गई

20.	घाघरा नदी के वाएं किनारे पर एल्जिन ब्रीज–चनचा बांध के 35.00 से 36.35 कि.मी. तक कटावरोधी कार्य	593.18	योजना की जांच की गई एवं टिप्पणी राज्य सरकार को भेजी गई
21.	कुशीनगर जिला में 0.00 कि.मी. से 2.400 कि.मी. तक छितौनी बांध के जीर्णोद्धार तथा बांध के नीचे के अनुप्रवाह की सुरक्षा हेतु परियोजना प्राक्कलन	622.52	योजना की जांच की गई एवं टिप्पणी राज्य सरकार को भेजी गई
22.	कुशीनगर जिला में अमवाखास बांध के 0.00 कि.मी. से 10.065 कि.मी. तक का उच्चीकरण, चौड़ीकरण एवं रंगरोगन तथा 4.900 से 5.600 कि.मी. तक स्लोप पिचिंग कार्य हेतु परियोजना प्राक्कलन	619.21	योजना की जांच की गई एवं टिप्पणी राज्य सरकार को भेजी गई
23..	कुशीनगर जिला में 6.800 से 14.400 कि.मी. तक छितौनी बांध का उच्चीकरण एवं सुदृढ़ीकरण हेतु परियोजना प्राक्कलन	744.44	योजना की जांच की गई एवं टिप्पणी राज्य सरकार को भेजी गई
24.	कुशीनगर जिला में छितौनी बांध के 7.830, 8.330 एवं 8.650 कि.मी. पर स्पर के निर्माण हेतु परियोजना प्राक्कलन	666.30	योजना की जांच की गई एवं टिप्पणी राज्य सरकार को भेजी गई
25.	कुशीनगर जिला में छितौनी बांध के 10.037, 10.132, 10.450, 10.685, 10.821, 10.901, 11.200 के स्पर एवं 8.148 कि.मी. पर स्पर के प्रतिप्रवाह सैंक के ऐप्रन के जीर्णोद्धार हेतु परियोजना प्राक्कलन	504.22	योजना की जांच की गई एवं टिप्पणी राज्य सरकार को भेजी गई
26.	कुशीनगर जिला में अमवाखास बांध के 3.700 कि.मी. एवं 4.500 पर स्परों के निर्माण हेतु योजना	717.69	योजना की जांच की गई एवं टिप्पणी राज्य सरकार को भेजी गई
27.	कुशीनगर जिला में ग्रेट गंडक नदी के दाहिने किनारे पर 5.900 से 7.320 कि.मी. तक ए.पी. बांध की सुरक्षा के लिए योजना	543.67	योजना की जांच की गई एवं टिप्पणी राज्य सरकार को भेजी गई
28.	सिद्धार्थनगर एवं गोरखपुर जिलों में राप्ती नदी के वाएं एवं दाहिने किनारे पर बाढ़ सुरक्षा कार्य हेतु योजना	6882.38	परीक्षाधीन
उत्तराखंड			
1.	उत्तराखंड अधीन ग्राम– गरमपानी खैरना, चुकम एवं माहान, रामनगर शहर, अजीतपुर, नस्तनगर, बैंथखेरी, गोबरा एवं जोगीपारा की सुरक्षा के लिए कोसी नदी एवं इसकी सहायक नदियों में बाढ़ सुरक्षा योजना	727.01	योजना स्वीकृत की गई

2.	तहसील–सितारगंज (उद्यमसिंह नगर) में देहरा एवं इसकी उप–नदियों की बाढ़ सुरक्षा योजना	718.93	योजना स्वीकृत की गई
3.	नैनिताल जिला में चोरगलिया क्षेत्र में ननधोर नदी में ग्रामः पंचोनिया, सुनेरधारा, अमखारा, कुटिलिया की बाढ़ सुरक्षा योजना	504.92	योजना की जांच की गई एवं टिप्पणी राज्य सरकार को भेजी गई
4.	उत्तराखंड के नैनिताल एवं उद्धम सिंह नगर में ढेला नदी एवं इसकी सहायक नदी पर प्रस्तावित बाढ़ सुरक्षा योजना	552.74	योजना की जांच की गई एवं टिप्पणी राज्य सरकार को भेजी गई
5.	उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में काली नदी एवं इसकी सहायक नदियों पर बाढ़ सुरक्षा योजना हेतु प्रोजेक्ट	545.95	वही
6.	चौखुटिया ब्लॉक, जिला–अलमोड़ा में रामगंगा नदी से ग्राम–भीचलाम, असेटी एवं छित्तर की सुरक्षा के लिए बाढ़ सुरक्षा योजना	355.08	वही
7.	ब्लॉक–कापकोट, जिला–बागेश्वर में शारदा नदी के बाढ़ से गरखेत गोलाना की सुरक्षा हेतु गारखेत गोलाना का बाढ़ सुरक्षा कार्यो के लिए योजना	359.44	वही
8.	विकास नगर ब्लॉक, जिला–देहरादून में यमुना नदी से काटापथ कैनल फल्ड कार्यों के सुदृढ़ीकरण हेतु परियोजना प्राक्कलन	448.06	वही
9.	चकराता ट्राइवल ब्लॉक, जिला देहरादून में ग्राम–निनूश, सुवा, पुटाड, स्तगंधर, कुलहा, देरिओ, घंटा, लखमंडल एवं कंधार की सुरक्षा के लिए यमुना एवं टोन्स नदी और इसकी सहायक नदियों से सटे नदी निर्माण कार्य एवं बाढ़ सुरक्षा कार्य	390.84	वही
10.	रूद्रप्रयाग जिला में मंदाकिनी नदी एवं इसकी सहायक नदियों से 20 गांवों की सुरक्षा	814.91	वही
11.	रूद्रप्रयाग जिला में अलकनंदा नदी एवं इसकी सहायक नदियों से 12 गांवों की सुरक्षा	318.29	वही
12.	पौड़ी गढ़वाल जिला में रामगंगा नदी एवं इसकी सहायक नदियों से 10 ग्राम सभा की सुरक्षा	405.29	वही
13.	दुग्धा ब्लॉक, जिला–पौड़ी गढ़वाल में गंगा नदी (टेलीसोट एवं मलान नदी) के सहायक नदियों से सात गांवों की सुरक्षा	435.42	वही

14.	पुरोला ब्लॉक, जिला– उत्तर काशी में मटियालौर, देवधूंग, गांधी नगर एवं चपटाडी की सुरक्षा के लिए यमुना की सहायक नदियों पर नदी निर्माण कार्य एवं बाढ़ सुरक्षा कार्य	232.39	वही
15.	खानपुर बांध एवं अजीतपुर बांध और बालावली से खानपुर बांध तक गंगा नदी के दाहिने किनारे पर स्टड बनाने और मॉर्जिनल बांध के निर्माण हेतु परियोजना प्राक्कलन	1412.94	वही
16.	देहरादून जिला के विकासनगर ब्लॉक में जाटोवाला से कुंजग्रांट गांव के बीच बाढ़ सुरक्षा योजना	2854.68	वही
17.	विकास नगर ब्लॉक में यमुना नदी (यमुना नदी बराज डाक पाथर से एन.एच. 72 कुलहार–पाओंटा साहिले ब्रीज के बीच) से गांवों की सुरक्षा के लिए बाढ़ सुरक्षा योजना	2997.74	वही
18.	हरिद्वार जिला में ग्रामः कांगरी, जोरासी, सिकारपुर, लादपुर, बघेरी, राजपुताना, भारापुर (घोरेवाला) एवं कोटा मुराद नगर की सुरक्षा के लिए गंगा एवं इसकी सहायक नदियों पर नदी कार्य एवं बाढ़ सुरक्षा कार्य	639.58	वही
19.	नैनिताल जिला के ननधोर नदी में खोला बाजार चोरगलिया के लिए एन्टी इरोजन एण्ड स्पिल मिटिगेशन वर्क हेतु प्रोजेक्ट	573.32	वही
20.	हरिद्वार जिला के बहादराबाद ब्लॉक में बिशनपुर कुंधी बांध से लगे गंगा नदी के नदी निर्माण कार्य के सुदृढ़ीकरण एवं जीर्णोद्धार के लिए परियोजना प्राक्कलन	490.15	वही
21.	हरिद्वार जिला में बारह गांवों की सुरक्षा के लिए सोलानी नदी, रतमऊ एवं पथारी राव नदी से लगे नदी निर्माण एवं बाढ़ सुरक्षा कार्य	680.46	वही
22.	हरिद्वार जिला में भगवानपुर ब्लॉक के छनगा मजरी गांव के बाढ़ सुरक्षा कार्य के लिए सोलानी नदी का नदी निर्माण काय	691.08	वही
23.	हरिद्वार जिला में ग्रामः शिवदासपुर, ऊर, तेलेवाला, छोली, हकीमपुर टुरभ, शाहपुर और मानक मजारा की सुरक्षा के लिए सोलानी नदी एवं इसकी सहायक नदियों से लगे रिवर ट्रेनिंग एवं बाढ़ सुरक्षा कार्य	349.00	वही
24.	हरिद्वार जिला में टाटवाला गांव की सुरक्षा के लिए गंगा नदी के वाएं किनारे पर नदी निर्माण कार्य का प्रोजेक्ट	281.79	वही

25.	चमोली जिला में नंदाकिनी नदी से 09 गांवों की सुरक्षा	380.13	वही
26.	चमोली जिला में पिंडार नदी एवं इसकी सहायक नदियों से 08 गांवों की सुरक्षा	408.29	वही
27.	चमोली जिला में अलकनंदा नदी और इसकी सहायक नदियों से 16 गांवों की सुरक्षा	998.50	वही
28.	नैनिताल एवं उद्यम सिंह नगर जिला के नौनधार नदी एवं इसकी सहायक नदियों से चोरगलिया एवं सितारगंज की सुरक्षा के लिए बाढ़ सुरक्षा योजना	1434.43	वही
हिमाचल प्रदेश			
1.	जिला–सिरमौर (हिमाचल प्रदेश) के तहसील पोन्टा साहिब में आर.डी. 0 से 8300 तक बाटा नदी फेज–1 (सुनकर) की सहायक नदियों का चैनेलाइजेशन	1493.10	योजना स्वीकृत की गई

योजनाओं की स्थिति का सार :

राज्य	स्वीकृत योजनाएं	योजनाओं की जांच की गई और टिप्पणी भेजी गई	जांच के अधीन की योजना
बिहार	14	12	–
झारखण्ड	–	–	–
पश्चिम बंगाल	04	शून्य	01
उत्तर प्रदेश	18	10	–
उत्तराखण्ड	03	25	–
हिमाचल प्रदेश	01	–	–
कुल	40	47	01

अध्याय–6

राज्यवार चल रही बाढ़ प्रबंधन योजनाओं का मॉनिटरिंग

गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग केन्द्रीय निधि की बाढ़ प्रबंधन योजनाओं का भौतिकी एवं वित्तीय प्रगति की मॉनिटरिंग करता हैं तथा मॉनिटरिंग रिपोर्ट जल संसाधन मंत्रालय को नियमित रूप से भेजे जाते हैं । वर्ष 2009–10 के दौरान जी.एफ.सी.सी. के अधिकारियों द्वारा नीचे दिए गए ब्योरा के अनुसार बाढ़ प्रबंधन योजनाओं की मॉनिटरिंग की गयी तथा मॉनिटरिंग रिपोर्ट को तैयार कर उसे जल संसाधन मंत्रालय को भेजा गया।

थ्बहार

क. सं.	योजना का नाम	अनुमानित लागत (लाख रू. में)
1.	बागमती बाढ़ प्रबंधन, तटबंध निर्माण (वाएं किनारा 17.55 से 56.97 कि.मी., दायां किनारा 15.2 से 56.97 कि.मी.)	13516.00
2.	सिमरिया–गोरगामा तटबंध का उच्चीकरण एवं सुदृढ़ीकरण	1236.1
3.	बसही गांव के निकट वायां बुढ़ी गंडक तटबंध के 72.74 कि.मी. पर कटावरोधी कार्य	515.00
4.	29.61 से 83.40 कि.मी. तक तिरहुत तटबंध के शेष क्षेत्रों का उच्चीकरण एवं सुदृढ़ीकरण	2627.65
5.	बागमती वाएं तटबंध के किनारे पर रामपुर कंठ ग्राम (3.45 कि.मी. से 4.61 कि.मी.) एवं सोनाखान (5.55 कि.मी. से 5.88 कि.मी.) के निकट कटावरोधी कार्य	830.72
6.	पिपरा–पिपरासी तटबंध के 0.00 कि.मी. से 35.00 कि.मी. और जी.एच. भाग के 0.00 कि.मी. से 6.68 कि.मी. तक कटावरोधी कार्य	920.97
7.	चम्पारण तटबंध के 32.24 से 132.40 कि.मी. के बीच के ऊपरी सतह पर ईंट सोलिंग कार्य	1492.81
8.	गंडक नदी के दाहिने किनारे पर 32.20 कि.मी. से 80.00 कि.मी. तक सारण तटबंध पर ईट सोलिंग सड़क का निर्माण	957.53
9.	बुढ़ी गंडक तटबंध के दाहिने आखाराघाट के प्रतिप्रवाह में 8.00 कि.मी. से अखाराघाट के अनुप्रवाह में 39.00 कि.मी. तक का उच्चीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य	1200.00
10.	दरभंगा शहर सुरक्षा योजना भाग–1	933.40
11.	दरभंगा शहर सुरक्षा योजना भाग–2	1416.09
12.	दरभंगा शहर सुरक्षा योजना भाग–3	1060.14
13.	खगड़िया शहर सुरक्षा योजना भाग–2	1339.18
14.	बिहार में पिपरासी पिपराघाट तटबंध एवं जी.एच. भाग का उच्चीकरण एवं सुदृढ़ीकरण	1471.60

15.	दानापुर दियारा में हेतमपुर एवं कासिमचक के निकट गंगा नदी के वाएं किनारे पर कटावरोधी कार्य के साथ जीर्णोद्धार कार्य	1230.47
16.	बिहार के सारण जिला के दिघवारा प्रखंड के अन्तर्गत मथुरापुर गांव के निकट गंगा नदी के वाएं किनारे पर कटावरोधी कार्य	101.94
17.	नेकनामटोला में गंगा नदी के दाहिने किनारे पर कटाव रोधी कार्य	169.00
18.	राघोपुर दियारा में गंगा नदी के दाहिने चैनेल के वाएं किनारे पर कटावरोधी कार्य	665.68
19.	गेवाबारी में 9.06 आर.डी. से 13.50 आर.डी. तक लालबकेया दाहिना मॉर्जिनल तटबंध का उच्चीकरण एवं सुदृढ़ीकरण	175.30
20.	मनी नदी पर गोरघाट गांव के निकट कटावरोधी कार्य	339.39
21.	गंगा नदी के दाहिने किनारे पर मनिआरचक गांव के निकट कटावरोधी कार्य	352.00
22.	गंगा नदी के दाहिने किनारे पर तौफीर दियारा के निकट कटावरोधी कार्य	673.90
23.	बिहार में कोसी तटबंध का उच्चीकरण एवं सुदृढ़ीकरण	33900.00
24.	जिला–मुजफ्फरपुर (बिहार) में गंडक नदी पर के तिरहुत तटबंध के 5.00 से 6.00 मील के बीच के पहाड़पुर मनोरथ, बानगारा, बरार, गई टोला में कटावरोधी कार्य	813.00
25.	सिवान एवं छपरा जिला (बिहार) में घाघरा नदी के वाएं किनारे पर कटावरोधी कार्य	1059.00
26.	जिला – कटिहार (बिहार) में गंगा नदी के वाएं किनारे पर जरलाही काढ़ोगाला तटबंध में "स्परों एवं रिटायर्ड लाईन तटबंध का जीर्णोद्धार" हेतु कटावरोधी कार्य	970.00
	झारखण्ड	
1.	झारखंड के गेरूआ नदी पर चैनेज 0.00 से 855.00 तक सेमरिया–गोरगामा योजना के दाहिने तटबंध का जीर्णोद्धार, ब्रीच क्लोजर एवं सुरक्षा कार्य	2012.00
	उत्तर प्रदेश	
1.	बलरामपुर जिला में राप्ती नदी के दाहिने किनारे पर बलरामपुर भदरिया बांध का निर्माण	1251.00
2.	उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिला में बलवाली से सिमली तक गंगा नदी के वाएं किनारे पर कटावरोधी कार्य	1268.12
3.	गोंडा जिला में सकरोअर–भिकारीपुर रिंग डैम के 13.6 कि. मी. से 15.0 कि.मी. तक सरचे/घाघरा नदी के वाएं किनारे पर कटावरोधी कार्य	1268.00

4.	उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में भीरा (पलियाकलां) के निकट रेलवे लाईन ट्रैक एवं अन्य सम्पत्तियों की सुरक्षा के लिए पायलट चैनेल (क्यूनेट) का निर्माण तथा मौजूदा धार को बंद करने के साथ मौजूदा चार स्परों सं. 0,1,2 एवं 3 कि.मी. पर का जीर्णोद्धार	1042.00
5.	रामपुर (उत्तर प्रदेश) जिला में कोसी नदी के वाएं किनारे पर लालपुर–धनौरा बांध का विस्तार, जीर्णोद्धार एवं कटावरोधी कार्यो के लिए प्रोजेक्ट	1420.00
6.	बलिया जिला में घाघरा नदी के दाहिने किनारे पर तुर्तीपार श्रीनगर (टी.एस.) का प्रोजेक्ट	1495.00
7.	बहराईच, बाराबंकी, गोंडा, बस्ती, फैजाबाद एवं मऊ जिलों घाघरा नदी के वाएं एवं दाहिने किनारे पर बाढ़ सुरक्षा कार्यों के लिए प्रोजेक्ट ।	11000.00
8.	जिला कुशीनगर, उत्तर प्रदेश में गंडक नदी के दाहिने किनारे पर बाढ़ सुरक्ष्झा कार्यों के लिए प्रोजेक्ट	4450.00
	उत्तराखण्ड	
1.	भोगपुर से बालावाली तक दाहिने मॉर्जिनल बांध का निर्माण	2069.49
	हिमाचल प्रदेश	
1.	तहसील–पाओंटा साहिब, जिला– सिरमौर में आर.डी. 10230 आर.डी. 19700 तक बाटा नदी का चैनेलाइजेशन	3467.38
	पश्चिम बंगाल	
1.	दक्षिण 24 परगना जिला में मौजा–मथुराकंदा में 18.20 कि.मी. से 18.825 कि.मी. तक तथा मौजा–अमलामेथी में 20.5 कि.मी. से 21.0 कि.मी. तक विद्या नदी के वाएं किनारे पर 32.5 से.मी. ड्राई ब्रीक पिचिंग कार्य द्वारा सुन्दरवन तटबंध का उच्चीकरण एवं सुदृढ़ीकरण तथा 48.33 कि.मी. से 48.98 कि.मी. तक हरोभंगा नदी की ओर मौजा–झारखाली–4 में ब्रीक ब्लॉक पिचिंग कार्य (लम्बाई 1775 मी.)	502.87

इन मॉनिटरिंग एवं जी.एफ.सी.सी. की अनुशंसा रिपोर्ट के आधार पर जल संसाधन मंत्रालय ने वर्ष 2009–10 के दौरान उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल एवं बिहार की राज्य सरकारों को कुल 564.47 करोड़ रूपये की राशि स्वीकृत की । पश्चिम बंगाल में आईला द्वारा प्रभावित तटबंध के पुनः निर्माण के लिए दी गई राशि सहित बाढ़–प्रबंधन कार्यक्रम के अधीन वर्ष 2009–10 तक कुल 791.95 करोड़ रूपये की राशि दी गई, जिसका ब्योरा नीचे दिया गया है :–

(राशि करोड़ रू. में)

क. सं.	राज्य	कुल केन्द्रीय सहायता	2007–08 में दी गई राशि	2008–09 में दी गई राशि	2009–10 में दी गई राशि	कुल	अभियुक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	बिहार	670.38	65.27	131.61	210.94	407.82	एफ.एम.पी. योजनाओं के लिए 635.74 तथा 10वीं योजना की स्पिल्ड ओवर योजनाओं के लिए 34.66 रू.
2.	झारखण्ड	15.09	–	7.37	4.53	11.9	
3.	उत्तराखण्ड	6.94	3.47	8.2218	4.70	16.3918	
4.	हिमाचल प्रदेश	–	0.6667	–	16.20	16.8667	
5.	उत्तर प्रदेश	205.55	5.25	–	112.88	118.13	
6.	प0 बंगाल (एफ.एम.पी.)	589.06	1.39	4.2337	27.72	33.3437	
7.	आईला से प्रभावित सुन्दरवन में तटबंध का पुनः निर्माण	3774	–	–	187.50	187.50	
कुल		**5261.02**	**76.0467**	**151.4355**	**564.47**	**791.9522**	

टिप्पणी: जारी राशि में 10 वीं योजना की स्पील ओभर योजनाओं के लिए जारी की गई राशि भी शामिल है ।

अध्याय–7

नदी–प्रबंधन तथा सीमा क्षेत्रों से संबंधित कार्य

11वीं योजना अवधि के दौरान जल संसाधन मंत्रालय ने जल संसाधन विकास एवं बाढ़–प्रबंधन कार्य के लिए "सीमा क्षेत्रों से संबंधित नदी प्रबंधन गतिविधियों कार्यों" शीर्षक की एक योजना शुरू की गयी है । इस योजना में भारत और बंगलादेश के बीच साझी–सीमा/नदियों, कोसी एवं गंडक प्रोजेक्ट्स तथा तट सुरक्षा कार्यों के अनुरक्षण का काम शुरू करने की व्यवस्था शामिल की गई है।

7.0 कोसी एवं गंडक प्रोजेक्ट्स पर बाढ़ सुरक्षा कार्यों का अनुरक्षण

7.1 कोसी पर सुरक्षा कार्य

कोसी उच्च स्तरीय समिति का गठन वर्ष 1978 में उस समय के सिंचाई विभाग, बिहार सरकार द्वारा अध्यक्ष, जी.एफ.सी.सी. की अध्यक्षता में किया गया था । इस समिति का काम नदी पर अबतक किए गए सुरक्षा कार्यों का समीक्षा/जांच करना तथा अगले बाढ़ मौसम से पहले की जाने वाली सुरक्षात्मक उपायों की अनुशंसा करना है । तब से यह समिति प्रत्येक वर्ष सुरक्षा कार्यो का निरीक्षण करती है तथा अगले बाढ़ मौसम से पहले नदी पर किए जाने वाले सुरक्षा कार्य के संबंध में अनुशंसा करती है । राज्य सरकार समिति की अनुशंसाओं के आधार पर योजनाओं का निष्पादन करती है ।

समिति का मौजूदा गठन नीचे दिया गया है :–

1.	अध्यक्ष, जी.एफ.सी.सी., पटना	अध्यक्ष
2.	सदस्य(आर.एम.), केन्द्रीय जल आयोग, नई दिल्ली या उनके प्रतिनिधि	सदस्य
3.	निदेशक, सी.डब्लू.पी.आर.एस., पूणे या उनके प्रतिनिध	सदस्य
4.	अभियंता प्रमुख(उत्तर), जल संसाधन विभाग, बिहार सरकार	सदस्य
5.	मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, बिहार सरकार, दरभंगा	सदस्य
6.	मुख्य अभियंता(अनुसंधान), जल संसाधन विभाग, बिहार सरकार, खगौल, पटना	सदस्य
7.	मुख्य अभियंता(जल विज्ञान एवं प्रोजेक्ट प्लानिंग), जल संसाधन विभाग, बिहार सरकार	सदस्य
8.	निदेशक, पूर्वी क्षेत्र, जल संसाधन विभाग, नेपाल सरकार, विराट नगर	सदस्य
9.	उप महानिदेशक, जल संसाधन विभाग, नेपाल सरकार, काठमांडू	सदस्य
10.	मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, बिहार सरकार, वीरपुर	सदस्य–सचिव

पिछले वर्षों की तरह कोसी उच्च स्तरीय समिति ने अक्टूबर, 2009 में सुरक्षा कार्यों का निरीक्षण तथा वर्ष 2010 के बाढ़ से पहले किए जाने वाले कार्यों की अनुशंसा की ।

बिहार सरकार द्वारा नेपाल क्षेत्र में किए जाने वाले सुरक्षा कार्यों पर की गई व्यय की पूरी राशि की प्रतिपूर्ति केन्द्र प्रायोजित योजना के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा की जाती है । नेपाल क्षेत्र में कोसी नदी की सुरक्षा में शामिल राशि की प्रतिपूर्ति बिहार सरकार से प्राप्त व्यय विवरण के आधार पर की जाती है ।

वर्ष 2009–10 के दौरान जल संसाधन विभाग, बिहार सरकार द्वारा दी गई व्यय विवरण के आधार पर नेपाल क्षेत्र में कार्यों के लिए बिहार सरकार को 15. 39787 करोड़ रू. की राशि की प्रतिपूर्ति की गई । 11वीं योजना में कुल 15. 81197 करोड़ रूपये की राशि प्रदान की गई ।

कोसी ब्रीच क्लोजर वर्क्स

दिनांक 18.8.2008 को नेपाल के कुसहा में 12.00 कि.मी. पर पूर्वी एफलक्स बांध में दरार आया। गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग में कोसी बराज के पूर्वी एफलक्स बांध के दरार को बांधने के कार्य में तकनीकी सहायता प्रदान करने में अग्रणी भूमिका निभाई थी । साथ ही कार्यों के निष्पादन का मॉनिटरिंग भी किया । दरार बांधने के काम के साथ इसे मजबूत करने का काम जून, 2009 में पूर्ण कर लिया गया जिसमें केन्द्रीय सहायता शत–प्रतिशत थी । इस काम के लिए जल संसाधन विभाग, बिहार सरकार को 107.55 करोड़ रूपये की स्वीकृति दी गई जिसमें से वर्ष 2009–10 के दौरान 37.65 करोड़ रूपये प्रदान की गई है ।

7.2 गंडक नदी पर सुरक्षा कार्य

इसी प्रकार गंडक उच्च स्तरीय समिति का आरंभिक गठन उस समय के सिंचाई मंत्रालय, भारत सरकार के कार्यालय ज्ञापन सं. 10/12/ 80–एफ.सी. दिनांक 12.11.1981 के द्वारा किया गया । इस समिति का कार्य 1981 के बाढ़ के दौरान उत्तर प्रदेश एवं बिहार राज्यों में गंडक नदी पर के दाहिने किनारे पर बाढ़ सुरक्षा कार्यों की कार्यकारिता मूल्यांकन करना तथा वर्ष 1981–82 के लिए दोनों राज्यों में निर्माण संबंधी कियाकलापों पर दिशा–निर्देश एवं सलाह और कार्यों से संबंधित कार्यकमों का सुझाव देना था। इस समिति की कार्य अवधि समय–समय पर बढ़ायी गयी। जल संसाधन मंत्रालय के पत्रांक 5/15/2002/पू.न. /गंगा/1219–27 दिनांक 21.3.2006 के द्वारा गंडक उच्च स्तरीय समिति का

अब नया नाम "गंडक उच्च स्तरीय स्थायी समिति" हो गया है । समिति के विचारार्थ विषय इस प्रकार हैं:–

- उत्तर प्रदेश एवं बिहार की राज्य सरकारों द्वारा अब तक निष्पादित बाढ़ नियंत्रण एवं कटाव रोधी कार्यों की समीक्षा करना तथा बाढ़ के दौरान उनकी कार्यकारिता मूल्यांकन का काम करना ।
- कार्यों से संबंधित एक कार्यकम की अनुशंसा करना जिसे दोनों राज्यों द्वारा समन्वित रूप में निष्पादित किया जा सके ।
- राज्यों में निर्माण संबंधी किया–कलापों का मार्गदर्शन करना तथा यदि कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो उससे उबरने हेतु किए जाने वाले कार्य की सलाह देना तथा यह भी सुनिश्चित करना कि प्रत्येक वर्ष जून तक राज्यों द्वारा सभी आवश्क कार्य पूर्ण कर लिए गए हैं ।

इस समिति के अध्यक्ष गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग के अध्यक्ष हैं । समिति का गठन नीचे दिया गया है :–

1.	अध्यक्ष, गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग, पटना	अध्यक्ष
2.	अभियंता प्रमुख, जल संसाधन विभाग, बिहार सरकार	सदस्य
3.	अभियंता प्रमुख, सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार	सदस्य
4.	केन्द्रीय जल एवं शक्ति अनुसंधान केन्द्र, पोस्ट–खड़गवासला, पूणे के एक प्रतिनिधि	सदस्य
5.	मुख्य अभियंता(अनुसंधान), सिंचाई अनुसंधान संस्थान, बिहार सरकार, खगौल	सदस्य
6.	निदेशक, सिंचाई अनुसंधान संस्थान, उत्तर प्रदेश सरकार, रूड़की	सदस्य
7.	निदेशक(समन्वय), गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग, पटना	सदस्य–सचिव

इसके गठन से लेकर वर्ष 2009–10 तक इस समिति की 41 बैठकें आयोजित हो चुकी हैं तथा अगले बाढ़ से पहले किए जाने वाले सुरक्षा कार्यों की अनुशंसाएं की गई है। संबंधित राज्य सरकारों ने समिति की अनुशंसाओं के अनुसार कार्यों का निष्पादन किया । नेपाल क्षेत्र में जिन सुरक्षा कार्यों के लिए भारत सरकार केन्द्रीय योजना के अधीन राशि की प्रतिपूर्ति करती है ।

वर्ष 2009–10 के दौरान अक्तूबर, 2009 माह में इस समिति के द्वारा बैठक/स्थल निरीक्षण किया गया तथा 2010 के बाढ़ से पहले किए जाने वाले कार्यों की अनुशंसा की गई है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा नेपाल क्षेत्र में गंडक नदी के दाहिने किनारे पर की गई बाढ़ सुरक्षा कार्यों पर किए गए व्यय राशि की प्रतिपूर्ति भारत सरकार द्वारा की जाती है ।

वर्ष 2009–10 के दौरान सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा दी गई व्यय विवरण के आधार पर नेपाल क्षेत्र में किए गए कार्यों के लिए उत्तर प्रदेश सरकार को 16.9265 करोड़ रू. की राशि की प्रतिपूर्ति की गई । इस प्रकार 11वीं योजना के दौरान दी गई कुल राशि 18.0035 करोड़ रू. है ।

7.3 पश्चिम बंगाल एवं असम में साझी सीमा पर स्थित नदियों की योजनाएं

54 नदियां भारत और बंगलादेश से मिली हुई हैं । बहुत से स्थानों पर इन नदियों की प्रवृत्ति दोनों तरफ के किनारों के कटाव द्वारा इसके दिशा बदलने की रही है । दोनों देशों द्वारा गंभीर कटाव स्थलों की पहचान की गई है और दोनों देशों के परामर्श से ऐसे स्थलों के तट सुरक्षा कार्यों को अंतिम रूप दिया गया है ।

गंगा बेसिन में 24 (चौबीस) ऐसे स्थलों की पहचान की गयी है । ये सभी स्थल सात नदियों यथा– महानन्दा, नागर, पुनरबा, अटारी, कुलिक, काराटोवा एवं टांगो में स्थित है । सिंचाई एवं जल मार्ग विभाग, पश्चिम बंगाल सरकार उपुर्यक्त योजना के अन्तर्गत उन स्थलों के लिए तट सुरक्षा कार्य का जिम्मा लिया है ।

अबतक छः स्थलों की तट सुरक्षा के लिए तीन योजनाएं कियान्वित की जा रही है । जिनका वर्ष 2009–10 के दौरान मॉनिटरिंग किया गया । अन्य स्थलों के लिए प्रस्ताव बनाए जा रहे हैं ।

पश्चिम बंगाल एवं असम में साझा सीमा की योजनाएं		
क.सं.	योजना का नाम	अनुमानित लागत (लाख रू. में)
1.	जिला–मालदा, (1800 मी.) ब्लॉक एवं थाना–बालीपुर में सुखनगर एवं कृष्णानगर वी.ओ.पी. में चार रिशीपुर में महानन्दा के वाएं किनारे पर तट सुरक्षा कार्य	1328.40
2.	जिला–मालदा, (1200 मी.) ब्लॉक एवं थाना–बाविवपुर में सुखनगर एवं कृष्णानगर वी.ओ.पी. में बाउरीपारा में महानन्दा नदी के वाएं किनारे पर तट सुरक्षा कार्य	886.06

3.	जिला–मालदा, (300 मी.) ब्लॉक एवं थाना–पुरानी मालदा में मुचिया एवं आदमपुर वी.ओ.पी. में नीमूघाट, महाजानपुर, मनोहरपुर एवं इंगलिश टोला में महानन्दा के वाएं किनारे पर तट सुरक्षा कार्य	1293.99

वर्ष 2009–10 के दौरान तट सुरक्षा कार्यों के लिए पश्चिम बंगाल सरकार को 17.51 करोड़ रू. की राशि प्रदान की गई।

अध्याय–8

पड़ोसी देशों के साथ सहयोग

8.1 भारत–नेपाल सहयोग

अनेक नदियां यथा–गंडक, बागमती, कमला, कोसी नदी आदि का उद्गम नेपाल में हैं और भारत के मैदानी भाग में प्रवेश करने से पहले ये नदियां नेपाल के पर्वतीय रास्तों से होकर बहती हैं । ऊपरी क्षेत्रों में भारी वर्षा से सिर्फ प्रचण्ड बाढ़ नहीं आती बल्कि भारत के मैदानी क्षेत्रों में भारी मात्रा में गाद भी लाती है । अतः दोनों देशों के बीच बाढ़ और गाद की समस्या को कम करने के कोई भी उपाय उचित समन्वय के साथ समेकित तरीके से किया जाना है । इस संदर्भ में गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग सभी तकनीकी जानकारी एवं दिशा–निर्देश प्रदान करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रही है ।

सामान्यतः नेपाल से निकलने वाली नदियों के कारण बिहार एवं उत्तर प्रदेश में बाढ़ आती है । बाढ़ की समस्या का दीर्घकालिक निदान वाटर शेड मैनेजमेंट एवं मल्टी परपस प्रोजेक्ट्स के निर्माण से ही बाढ़ को कम करने के लिए ऊपरी क्षेत्रों में फ्लड कुशन में निहित है । जैसा कि बाढ़ को नियंत्रित करने के लिए जलाशयों/डैम का उचित स्थलों की अवस्थिति नेपाल में है तथा इन नदियों पर डैमों/जलाशयों का निर्माण नेपाल सरकार के साथ हुए समझौता पर निर्भर करता है ।

भारत सरकार नेपाल से निकलने वाली नदियों के भयानक बाढ़ से होने वाले विनाश को कम करने के उद्धेश्य से नेपाल सरकार के साथ लगातार वार्ता करती रही है । मौजूदा व्यवस्था एवं बेहतर समझदारी के साथ कार्यों के कार्यान्वयन सहित जल संसाधन के क्षेत्र में सहयोग हेतु उच्च स्तरीय वार्ता के लिए एक समिति बनाई गई । दोनों देशों के जल संसाधन सचिवों के नेतृत्व में इंडो–नेपाल ज्वाईंट कमिटी ऑन वाटर रिसोर्सेज(आई.सी.डब्लू.आर.) अन्य सभी समितियां एवं इसके अधीन के समूह की सुरक्षा समिति के रूप में काम कर रही है । जे.सी.डब्लू.आर. की अबतक 05 बैठकें आयोजित हो चुकी है जिसमें बाढ़–प्रबंधन पहलुओं तथा नेपाल से निकलने वाली नदियां यथा– सप्त कोसी नदी, सन कोसी नदी, पंचेश्वर बहुद्धेश्शीय प्रोजेक्ट्स और अन्य संबंधित विषय आदि सहित जल संसाधन सेक्टर में द्विपक्षीय सहयोग की समस्त बातें शामिल रहती हैं ।

बिहार में सुरक्षित क्षेत्र में नेपाल की ओर से निकलने वाली बागमती, कमला, लालबकेया एवं खांडो नदियों के बाढ़ के पानी के बहाव को रोकने के लिए दोनों पक्ष, भारतीय भाग में तटबंधों के क्रमशः सुदृढ़ीकरण के साथ भारत–नेपाल सीमा से नेपाल में ऊपरी भूमि तक इन नदियों से लगे तटबंधों के विस्तार पर सहमत हैं । उन पहलुओं से संबंधित कार्य विभिन्न चरणों में कार्यान्वित हो रहे हैं ।

गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग इन समितियों के सदस्यों के रूप में भाग लेने वाले प्रमुख अधिकारी या भागीदार को तकनीकी सहायता भी प्रदान करता है ।

1. संयुक्त स्थायी तकनीकी समिति (जे.एस.टी.सी.)

इस समिति का गठन, जल संसाधन पर गठित भारत–नेपाल संयुक्त समिति (जे.सी.डब्लू.आर.) की काठमांडू में दिनांक 29.9.2008 से 01.10. 2008 तक आयोजित तीसरी बैठक के दौरान किया गया था । जे.एस.टी.सी. का काम जे.सी.डब्लू.आर के अधीन की मौजूदा समितियों एवं उप समितियों के कार्यों के बीच समन्वय स्थापित करना है । इस समिति का गठन (भारतीय पक्ष) एवं विचारार्थ विषय इस प्रकार हैं :–

क.सं.	भारतीय पक्ष का गठन	
1.	अध्यक्ष, गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग, पटना	दल प्रमुख
2.	आयुक्त(गंगा), जल संसाधन मंत्रालय	सदस्य
3.	संयुक्त सचिव(जल विज्ञान), ऊर्जा मंत्रालय	सदस्य
4.	मुख्य अभियंता(यू.जी.बी.ओ.), केन्द्रीय जल आयोग, लखनऊ	सदस्य
5.	मुख्य अभियंता(एच.पी.एण्ड.आई.), सी.ई.ए.	सदस्य
6.	निदेशक(उत्तर), विदेश मंत्रालय, नई दिल्ली	सदस्य
7.	ई.ओ.आई., काठमांडू के प्रतिनिधि	सदस्य
8.	अभियंता प्रमुख(उत्तर), जल संसाधन विभाग, बिहार सरकार	सदस्य
9.	उत्तर प्रदेश के प्रतिनिधि	सदस्य
10.	पश्चिम बंगाल सरकार के प्रतिनिधि	सदस्य
11.	उत्तराखंड सरकार के प्रतिनिधि	सदस्य
12.	वरीय संयुक्त आयुक्त, जल संसाधन मंत्रालय	सदस्य–सचिव

जे.एस.टी.सी. के विचारार्थ विषय

जे.सी.डब्लू.आर. के अधीन सभी मौजूदा समितियों एवं उप समितियों का समन्वय करना ।

जे.एस.टी.सी. की अबतक दो बैठकें आयोजित हो चुकी हैं । इस समिति की अंतिम बैठक दिनांक 30–31 मार्च, 2010 को नेपाल में आयोजित हुई थी जिसमें विभिन्न विषय पर विचार–विमर्श हुए तथा इस विषय में अनुवर्ती कार्रवाई हेतु निर्णय लिए गए ।

2. जल प्लावन एवं बाढ़–प्रबंधन पर गठित संयुक्त समिति (जे.सी.आई. एफ.एम.)

इस समिति का गठन जल संसाधन पर गठित भारत–नेपाल संयुक्त समिति की नई दिल्ली में दिनांक 12–13 मार्च, 2009 को आयोजित चौथी बैठक में किया गया था । यह समिति पूर्व के द्विपक्षीय समिति यथा– एस.सी.आई.पी., एच.एल.टी.सी., जे.सी.एफ.एसम., एस.सी.ई.सी. एवं एस.सी.एफ.एफ. का स्थान लेगी । इस समिति का गठन (भारतीय पक्ष) एवं इसके विचारार्थ विषय निम्नलिखित है:–

क.सं.	भारतीय पक्ष का गठन	
1.	सदस्य(समन्वय), गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग, पटना	दल प्रमुख
2.	मुख्य अभियंता, केन्द्रीय जल आयोग, नई दिल्ली	सदस्य
3.	मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, बिहार सरकार/ मुख्य अभियंता, सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार/ अध्यक्ष, उत्तर बंगाल बाढ़ नियंत्रण आयोग, पश्चिम बंगाल सरकार	सदस्य
4.	निदेशक(उत्तर), विदेश मंत्रालय, नई दिल्ली	सदस्य
5.	वरीय संयुक्त आयुक्त, जल संसाधन मंत्रालय	सदस्य
6.	ई.ओ.आई., काठमांडू के प्रतिनिधि	सदस्य
7.	निदेशक(एम.पी.–2), जी.एफ.सी.सी., पटना	सदस्य–सचिव
8.	निदेशक(वित्त), विदेश मंत्रालय/जल संसाधन मंत्रालय, नई दिल्ली	आमंत्रित

जे.सी.आई.एफ.एम. के विचारार्थ विषय

1. जे.सी. आई.एफ.एम. जल प्लावन एवं बाढ़ मामले में जे.सी.टी.सी. के निर्णयों के कार्यान्वयन में सुरक्षा समिति (Umbralla Committee) के रूप में काम करती है ।
2. जे.सी.आई.एफ.एम. बाढ़–प्रबंधन एवं जल प्लावन से संबंधित विषयों का काम करेगी तथा यदि आवश्यकता हुई तो टॉस्क समूह (समूहों) का गठन कर सकती है ।
3. जे.सी.आई.एफ.एम. कार्यों की प्रगति का मॉनिटरिंग करेगी तथा टॉस्क समूह (समूहों) को दिशा–निर्देश प्रदान करेगी और जे.एस.टी.

सी. को रिपोर्ट भेजती है ।

जे.सी.आई.एफ.एम. की अबतक तीन बैठकें आयोजित हो चुकी हैं । अंतिम बैठक नेपाल में दिनांक 14 से 19 मई, 2010 के दौरान आयोजित हुई थी जिसमें जल प्लावन एवं बाढ़ पूर्वानुमान से संबंधित विषय नेपाल भू–भाग में तटबंधों के विस्तार के संबंध में लिए जाने वाले निर्णयों पर विचार विमर्श हुआ था तथा समुचित निर्णय लिए गए।

8.2 भारत–बंगलादेश सहयोग

भारत–बंगलादेश संयुक्त नदी आयोग (जे.आर.सी.) का गठन नवम्बर, 1972 में भारत और बंगलादेश के बीच साझी/सीमा नदियों से संबंधित विषयों पर विचार–विमर्श एवं उसके समाधान के लिए किया गया था । यह संगठन साझा/सीमा नदियों पर विकास कार्यों से संबंधित साझा समस्याओं के समाधान हेतु एक मंच प्रदान करती है और इससे किसी भी पक्ष को कोई नुकसान नहीं है ।

उपर्युक्त आयोग के संरक्षण में नियमित अंतराल पर तथा विभिन्न स्तरों पर संबंधित विषयों पर विचार–विमर्श हेतु बैठकें आयोजित हुई है। ऐसी बैठकों में लिए गए निर्णयों का आयोग द्वारा अनुसमर्थन किया जाता है।

साझा सीमा नदियों में बाढ़–प्रबंधन से संबंधित विभिन्न विषयों पर विचार–विमर्श हुए हैं । गंगा बेसिन से संबंधित विषयों पर हुए विचार–विमर्श का सारांश नीचे दिए गए हैं :–

तट सुरक्षा कार्य

भारत और बंगला देश के बीच की साझी/सीमा की प्रायः नदियों जलोढ़ मैदीनी भू–भाग से होकर बहती हैं तथा दोनों ओर इसके विसर्पी अवस्था एवं तट कटाव के कारण इसके दिशा में परिवर्तन होता रहता है । नाजूक स्थलों पर कटाव रोकने हेतु तट सुरक्षा कार्य अपेक्षित हैं । इस विषय पर जे.आर.सी. की वर्ष 2005 की 36वीं बैठक एवं बाद के विभिन्न अवसरों पर विचार–विमर्श हुआ था । बाद में अगस्त, 2007 में भारत–बंगलादेश के बीच सचिव, जल संसाधन स्तर की बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि पहचान किए गए स्थलों पर तट सुरक्षा कार्य का सम्पादन समान विनिर्दिष्ट कार्यों के साथ तीन लगातार कार्य सत्रों के निर्दिष्ट समय में दोनों ओर पर एक ही समय में किए जाए । दिसम्बर, 2009 में तकनीकी स्तर की बैठक में लिए जाने वाले विनिर्दिष्ट कार्यों को अंतिम रूप दिया गया ।

दोनों देशों के बीच आदान–प्रदान किए गए सूची के अनुसार भारत में 41 स्थलों और बंगलादेश में 28 स्थलों पर तट सुरक्षा कार्य प्रस्तावित थे । आवश्कतानुसार और स्थलों को भी शामिल करने की आपसी सहमति थी ।

8.3 इच्छामती नदी का ड्रेजिंग

इच्छामती नदी के ड्रेजिंग से संबंधित विषय पर दिनांक 20 से 31 मई, 2005 तक जे.आर.सी. की स्थायी समिति की 18वीं बैठक में जल निकास/जमाव की समस्या से इच्छामती नदी के आवाह क्षेत्र को छुटकारा दिलाने हेतु विचार–विमर्श हुआ था जिसमें बाढ़–प्रबंधन के लिए गठित भारत–बंगलादेश टॉक्स फोर्स (आई.बी.टी.एफ) को तत्काल उपाय के रूप में अनगरेल से कलांची तक के क्षेत्र में इच्छामती नदी को गाद से मुक्ति हेतु प्रस्ताव बनाने का निदेश दिया गया था । दिनांक 08.6.2005 को आई.बी.टी.एफ. की बुलाई गई विशेष बैठक में इच्छामती नदी के पायलट डि–सिल्टिंग की अस्थायी प्रस्ताव पर विचार–विमर्श किया गया ताकि आई.बी.जे.आर.सी. की स्थायी बैठक में विचार हेतु प्रस्तुत किया जाए लेकिन बंगलादेश की ओर से उस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया गया ।

बाद में अगस्त, 2005 में इस नदी की साझी सीमा क्षेत्र में संयुक्त सर्वे का काम किया गया । इस विषय पर आगे सितम्बर, 2005 में जे.आर.सी. की 36वीं बैठक में विचार–विमर्श हुआ । बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार सितम्बर, 2006 में दोनों देशों के जल संसाधन मंत्रालय द्वारा संयुक्त निरीक्षण किया गया ।

इस विषय पर अगस्त, 2007 में पुनः सचिव स्तरीय बैठक में विचार–विमर्श हुआ और यह निर्णय लिया गया कि जे.आर.सी. की आगामी बैठक में इच्छामती नदी को गाद से मुक्ति के प्रस्ताव को विचारार्थ रखा जाए तथा एक संयुक्त मॉनिटरिंग दल के पर्यवेक्षण में इस कार्य को यथाशीघ्र शुरूआत की जाए । इस विषय पर पुनः 05 से 06 दिसम्बर, 2009 के दौरान आयोजित तकनीकी स्तर की बैठक में विचार–विमर्श किया गया लेकिन विषय को अंतिम रूप नहीं दिया जा सका ।

गाद मुक्ति कार्य की विस्तृत विधि एवं योजना पर दिनांक 30.12. 2009 से 01.1.2010 तक दोनों देशों के बीच आयोजित तकनीकी स्तर की बैठक में विचार–विमर्श हुआ तथा उसे अंतिम रूप दिया गया । 04–05 जनवरी, 2010 की सचिव स्तरीय बैठक में भी इस योजना को स्वीकार एवं समर्थन मिला ।

भारत और बंगलादेश के बीच हुए अंतिम विस्तृत निर्णय के अनुसार

बोरनोबेरिया से कलांची के बी.एस.एफ. ब्रीज तक (कुल लम्बाई 20.145 कि.मी.) इच्छामती नदी के गाद मुक्ति कार्य, दोनों देशों के अधिकारियों के संयुक्त मॉनिटरिंग दल के अधीन 09 मार्च, 2010 से आरंभ किया गया है। भारत की ओर से संयुक्त मॉनिटरिंग दल में भाग लेने के लिए गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग के एक अधिकारी को प्रतिनियुक्त किया गया था ।

अध्याय–9

हिंदी के प्रयोग की प्रगति

9.1 हिंदी का प्रगामी प्रयोग

अध्यक्ष, गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग की अध्यक्षता में इस आयोग में राजभाषा कार्यान्वयन समिति गठित है । इस समिति में गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग के दोनों सदस्य, सभी निदेशक एवं उप निदेशक, प्रशासन अधिकारी, अध्यक्ष के आप्त सचिव, सहायक निदेशक(ग्रेड–2), हिंदी अनुवादक, आयोग के सभी शाखा प्रधान के साथ उप निदेशक(कार्यान्वयन), राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय तथा हिंदी शिक्षण योजना के एक अधिकारी इसके सदस्य हैं । इस आयोग के सहायक निदेशक(ग्रेड–2) इस समिति के सदस्य–सचिव हैं । इस समिति की बैठक प्रत्येक तिमाही आयोजित की जाती हैं । इन बैठकों में तिमाही प्रगति प्रतिवेदनों पर विस्तृत विचार–विमर्श किए जाते हैं और वार्षिक कार्यक्रम में निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति पर जोर दिया जाता है । यह समिति इस आयोग के दिन–प्रतिदिन के कार्यों में हिंदी के प्रगामी प्रयोग के वास्तविक स्थिति के आंकलन का काम करती है और कार्य सम्पादन में आने वाली कठिनाईयों को दूर करने के उपाय सुझाए जाते हैं । वर्ष 2009–10 के दौरान इस समिति की चार बैठक आयोजित हुई थी।

अध्यक्ष, गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग, जल संसाधन मंत्रालय की हिंदी सलाहकार समिति और पटना नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति के भी सदस्य हैं । इस आयोग के अध्यक्ष या कोई वरिष्ठ अधिकारी उपर्युक्त समितियों की बैठकों में नियमित रूप से भाग लेते हैं ।

9.2 उपलब्धियाँ

9.2.1 वर्ष 2009–10 की उपलब्धियाँ

वर्ष 2009–10 के दौरान सामान्यतः सभी कार्यालय आदेश द्विभाषी यथा–हिंदी और अंग्रेजी में जारी किए गए । वर्ष 2009–10 के दौरान जी.एफ.सी.सी. द्वारा कुल 5720 पत्रादि जारी किए गए जिसमें 3439 पत्रादि हिंदी में थे । क्षेत्रवार ब्योरा नीचे दिया गया है :–

क. सं.	क्षेत्र	कुल निर्गत पत्रादि	हिंदी में निर्गत पत्रादि
1	क	5606	3388
2.	ख	24	16
3.	ग	90	35
	कुल	**5720**	**3439**

हिंदी भाषा के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्धेश्य से दिनांक 14.9.2009 से 30.9.2009 तक 'हिंदी पखवाड़ा' मनाया गया । इस अवधि में आयोग के कर्मचारियों के बीच सामान्य हिंदी ज्ञान प्रतियोगिता का आयोजन किया गया । मूल्यांकन पश्चात् सभी विजेताओं के बीच पुरस्कारों का वितरण किया गया ।

आयोग के निम्नलिखित अधिकारियों को पुरस्कार प्रदान किया गया :—

(क)	सामान्य हिंदी / ज्ञान प्रतियोगिता (सिर्फ 'घ' श्रेणी के कर्मचारियों के लिए)	
क.सं	नाम / पदनाम	पुरस्कार
1.	श्री रविन्द्र राम, आदेशपाल	प्रथम
2.	श्री रामेश्वर यादव, खलासी	द्वितीय
3.	श्री बदरी प्रसाद, जेस्टेटनर ऑपरेटर	तृतीय
4.	श्री गिरिजा कांत पोद्दार, खलासी	तृतीय

इस आयोग में सरकारी काम—काज (टिप्पण / आलेखन) मूल रूप में हिंदी में करने के लिए प्रोत्साहन योजना लागू है । वर्ष के दौरान वर्ष 2008—09 में तीन अधिकारियों को, उनके द्वारा किए गए कार्यो के आधार पर नगद पुरस्कार दिया गया है :—

क.सं	नाम / पदनाम	पुरस्कार
1.	मो. तुफैल अहमद, उच्चवर्गीय लिपिक	प्रथम
2.	श्री पप्पु लाल, अवर श्रेणी लिपिक	प्रथम
3.	श्री जितेन्द्र कुमार, उच्चवर्गीय लिपिक	द्वितीय

अध्याय–10

प्रशिक्षणों, कार्यशालाओं एवं सेमिनारों में भागीदारी

10.1 गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग के अधिकारियों द्वारा प्रशिक्षण / कार्यशाला / सेमीनार में भाग लिया गया ।

वर्ष 2009–10 के दौरान गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों, कार्यशालाओं एवं सेमीनारों में नीचे दिए गए ब्योरा के अनुसार भाग लिया गया :–

क. सं.	प्रशिक्षण कार्यक्रम / कार्यशाला / सेमीनार	अवधि	अधिकारियों के नाम	अभियुक्ति
1.	केन्द्रीय जल आयोग, नई दिल्ली में वर्कशॉप ऑन असम इनटिग्रेटेड फ्ल्ड एण्ड बैंक इरोजन रिस्क मैनेजमेंट प्रोजेक्ट (ए.डी.बी.द्वारा दिए गए कोष	23.9.2009	श्री एस.मसूद हुसैन, सदस्य(योजना) श्री आर.के.सिन्हा, निदेशक(एम.पी.–1)	भाग लेने वाले
2.	पटना में बिहार स्टेट प्रोडक्टीभीटी काउन्सिल द्वारा आयोजित नेशनल सेमीनार ऑन स्ट्रेटेजी फॉर वाटर रिसोर्सेज डवलपमेंट एण्ड मैनेजमेंट	27–28 फरवरी, 2010	श्री एस.मसूद हुसैन, सदस्य(योजना) श्री आर.के.सिन्हा, निदेशक(एम.पी.–1)	(सेमीनार में मूल–सिद्धांत प्रस्तुत किया) भाग लेने वाले
3.	आई.एस.टी.एम., नई दिल्ली में वेतन निर्धारण	16.12.2009 से 19.12.2009 तक	श्री तुफैल अहमद, उच्चवर्गीय लिपिक	भाग लेने वाले
4.	पोस्टल स्टॉफ कॉलेज, गाजियाबाद में इनभेस्टीगेशन एण्ड डिसिप्लनरी प्रोसिडिंग	08.3.2010 से 10.3.2010 तक	श्री जितेन्द्र कुमार, प्रधान लिपिक	भाग लेने वाले

अध्याय–11

विभिन्न समितियों में गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग का प्रतिनिधित्व

क.सं.	समिति / बोर्ड / विशेषज्ञों / तकनीकी समूह आदि का नाम	अधिकारी	स्थिति
1.	गंगा बाढ़ नियंत्रण परिषद	अध्यक्ष, गं.बा.नि.आ.	सदस्य–सचिव
2.	गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग	अध्यक्ष, गं.बा.नि.आ.	अध्यक्ष
3.	जल संसाधन पर भारत–नेपाल मिनिस्ट्रेरियल आयोग (जे.एम.सी.डब्लू.आर.)	अध्यक्ष, गं.बा.नि.आ.	सदस्य
4.	जल संसाधन पर भारत–नेपाल संयुक्त समिति (जे.सी.डब्लू.आर.)	अध्यक्ष, गं.बा.नि.आ.	सदस्य
5.	भारत–नेपाल संयुक्त स्थायी तकनीकी समिति	अध्यक्ष, गं.बा.नि.आ.	भारतीय दल के प्रमुख
6.	जल प्लावन एवं बाढ़ प्रबंधन पर भारत–नेपाल संयुक्त समिति	सदस्य(समन्वय), गं.बा.नि.आ.	दल प्रमुख
7.	कोसी एवं गंडक प्रोजेक्ट्स पर भारत–नेपाल संयुक्त समिति	सदस्य(समन्वय) गं.बा.नि.आ.	सदस्य
8.	हाइड्रोलिक रिसर्च पर भारतीय राष्ट्रीय समिति	अध्यक्ष, गं.बा.नि.आ.	सदस्य
9.	गंडक उच्च स्तरीय स्थायी समिति	अध्यक्ष, गं.बा.नि.आ.	अध्यक्ष
10.	कोसी उच्च स्तरीय समिति	अध्यक्ष, गं.बा.नि.आ.	अध्यक्ष
11.	नेशनल इंस्टीच्यूट ऑफ हाइड्रोलॉजी सोसाइटी	अध्यक्ष, गं.बा.नि.आ.	सदस्य
12.	साहिबी स्थायी समिति	अध्यक्ष, गं.बा.नि.आ.	सदस्य
13.	उत्तर प्रदेश राज्य अभियंता समिति	अध्यक्ष, गं.बा.नि.आ.	सदस्य
14.	बिहार राज्य अभियंता समिति	अध्यक्ष, गं.बा.नि.आ.	सदस्य
15.	पश्चिम बंगाल राज्य अभियंता समिति	अध्यक्ष, गं.बा.नि.आ.	सदस्य
16.	मध्य प्रदेश राज्य अभियंता समिति	अध्यक्ष, गं.बा.नि.आ.	अध्यक्ष
17.	भारत में नदियों के गाद पर समिति	अध्यक्ष, गं.बा.नि.आ.	सदस्य
18.	तकनीकी सलाहकार समिति, फरक्का बराज प्रोजेक्ट	अध्यक्ष, गं.बा.नि.आ.	सदस्य
19.	तकनीकी सलाहकार समिति, उत्तर प्रदेश	निदेशक, गं.बा.नि.आ.	सदस्य
20.	तकनीकी सलाहकार समिति, हिमाचल प्रदेश	निदेशक, गं.बा.नि.आ.	सदस्य
21.	तकनीकी सलाहकार समिति, हरियाणा	निदेशक, गं.बा.नि.आ.	सदस्य
22.	तकनीकी सलाहकार समिति, राजस्थान	निदेशक, गं.बा.नि.आ.	सदस्य

23.	तकनीकी सलाहकार समिति, बिहार	निदेशक, गं.बा.नि.आ.	सदस्य
24.	तकनीकी सलाहकार समिति, पश्चिम बंगाल	निदेशक, गं.बा.नि.आ.	सदस्य
25.	तकनीकी सलाहकार समिति, झारखण्ड	निदेशक, गं.बा.नि.आ.	सदस्य
26.	तकनीकी सलाहकार समिति, उत्तराखंड	निदेशक, गं.बा.नि.आ.	सदस्य
27.	तकनीकी सलाहकार समिति, छत्तीसगढ़	निदेशक, गं.बा.नि.आ.	सदस्य
28.	तकनीकी सलाहकार समिति, मध्य प्रदेश	सदस्य(समन्वय) गं.बा.नि.आ.	सदस्य
29.	यमुना स्थायी समिति	सदस्य(योजना) गं.बा.नि.आ.	सदस्य
30.	आर.भी.डी. 68, बी.आई.एस., नई दिल्ली	सदस्य, गं.बा.नि.आ.	सदस्य
31.	समुद्र तट सुरक्षा एवं विकास सलाहकार समिति	सदस्य(योजना) गं.बा.नि.आ.	सदस्य
32.	एन.एन.आर.एम.एस., जल संसाधन पर स्थायी समिति (एस.सी.डब्लू. आर.)	सदस्य गं.बा.नि.आ.	सदस्य
33.	एन.आई.एच.रिजिनल कॉआर्डिनेशन कमिटी फॉर गंगा प्लेन नार्थ रिजिनल सेन्टर	अध्यक्ष, गं.बा.नि.आ. का प्रतिनिधित्व	सदस्य

——XXX——

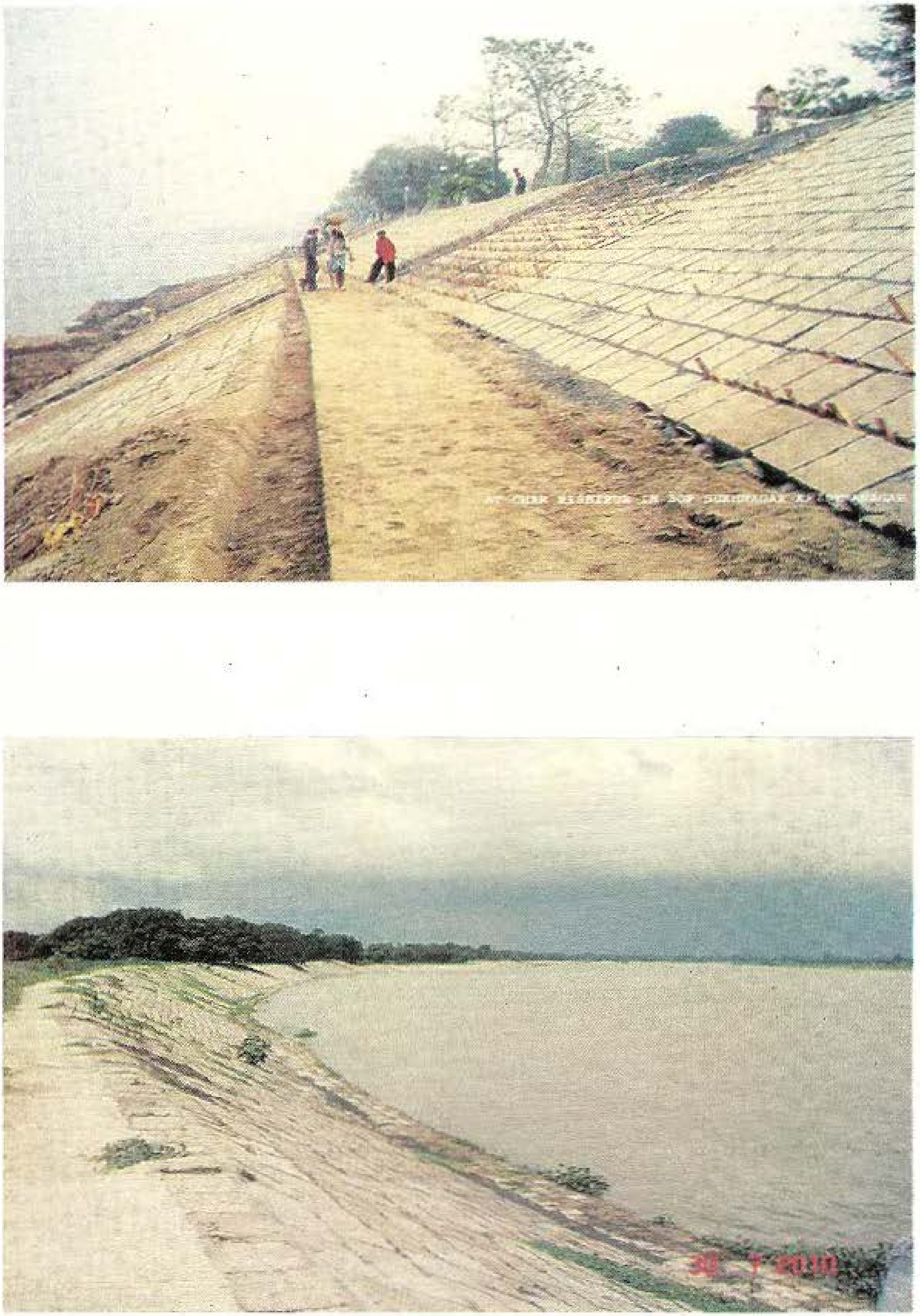

भारत और बंगलादेश के बीच साझी/सीमा नदियों पर बाढ़–प्रबंधन विकास कार्य

Flood Management work on common border rivers between India and Bangladesh

कोसी एफलक्स बांध में आयी दरार को बांधने संबंधित कार्य

Works related to breach closer of river Kosi

SHIV SHAKTI MOKAMA
JCB

कोसी एफलक्स बांध में आयी दरार को बांधने संबंधित कार्य

Works related to breach closer of river Kosi

FPW BHOGPUR FROM BANGALANALA

FPW Sahab Nagar

उत्तराखंड में बाढ़ सुरक्षा योजना संबंधित कार्य

Works related Flood Protection Works in Uttarakhand